UPSP010085332017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी– श्रेय शुक्ला (उच्चतर न्यायिक सेवा)यू.पी. 3845
सत्र परीक्षण संख्या 592/2017

उत्तर प्रदेश राज्य .... **अभियोजन।**

बनाम

1. सोनू पुत्र काला निवासी ग्राम दाबकी गुर्जर, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर।
2. अंकित पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम तिरपडी, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर।

.... **अभियुक्तगण।**

मुकदमा अपराध संख्याः– 421/2016
धाराः–307,392,411 भा0दं0सं0
थानाः कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर।

व

UPSP010085332017

सत्र परीक्षण संख्या 593/ 2017
सरकार बनाम सोनू
अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम,
थाना–कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर ।
मु0अ0सं0 502/2016

व

UPSP010085332017

सत्र परीक्षण संख्या 594/2017
सरकार बनाम अंकित
अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम,
थाना–कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर ।
मु0अ0सं0 503/2016

महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटनायें

क्रम सं.	तिथि	घटना
1.	30.08.2016	घटना की दिनांक
2.	01.09.2016	प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत
3.	24.12.2016	आरोप पत्र प्रेषित एवं विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान

4.	30.10.2017	सत्र सुपुर्दगी
5.	28.02.2019	आरोप विरचित
6.	30.04.2026	बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0
7.	29.07.2026	बहस पूर्ण हुई, निर्णय सुरक्षित।
8.	31.07.2026	निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर द्वारा मु0अ0सं0 421/2016 सरकार बनाम सोनू आदि अन्तर्गत धारा 307,392,411 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर में पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 30.10.2017 सत्र परीक्षण संख्या 592/2017 में पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 30.10.2017 से उत्पन्न सत्र प्रकरण।

उपस्थिति– राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री सतीश सैनी।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री के.के. जैसवाल

निर्णय

1. पुलिस थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या 421/2016** में आरोप पत्र **प्रदर्श क–12 अभियुक्तगण सोनू व अंकित** के विरूद्ध अन्तर्गत **धारा 307,392,411 भा0दं0सं0** में विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया गया।

2. मुकदमा अपराध संख्या 421/2017 अन्तर्गत धारा 307,392,411 भा0दं0सं0 के अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर द्वारा दिनांक 30.10.2017 को सत्र सुपुर्द किया गया। इस न्यायालय को उपरोक्त सत्र वाद माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्तरण पर प्राप्त हुआ।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि प्रार्थी सिविल कोर्ट सहारनपुर में पिछले छः साल से अधिवक्ता है। दिनांक 30.08.2016 को प्रार्थी अपनी रिश्तेदारी में ग्राम ठाठहेडी थाना नकुड से अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार कराकर समय करीब 09:00 रात्रि अपने ग्राम सढौली हरिया थाना कोतवाली देहात अपनी मोटरसाईकिल स्पलेंडर प्लस नम्बर यूपी11यू–9747 से जा रहा था, जैसे ही प्रार्थी मल्हीपुर रोड पर सढौली हरिया से पहले पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो पीछे से दो व्यक्ति मोटरसाईकिल पर आये जिन्होंने आते ही प्रार्थी की मोटरसाईकिल के आगे अपनी मोटरसाईकिल लगाकर प्रार्थी को रोक लिया तथा उन्होंने प्रार्थी पर फायर किया, जिससे डरकर प्रार्थी नीचे गिर गया तो इन दोनो बदमाशो ने प्रार्थी से मोटरसाईकिल व सैमसंग का डबल सिम मोबाईल जिसमें आईडिया सिम नं0 9012821097 तथा वोडा फोन सिम नं0 7252905785 चल रहा था तथा प्रार्थी का पर्स जिसमें 8000/रूपये, प्रार्थी के पहचान पत्र व अन्य जरूरी कागजात थे, लूट लिये। मोटरसाईकिल के कागज भी मोटरसाईकिल की डिग्गी में थे। इन बदमाशो ने जाते समय भी प्रार्थी को जान से मारने की नियत से फायर किया। प्रार्थी ने गन्ने के खेत में कूदकर अपनी जान बचाई। प्रार्थी ने अपने घर जाकर उक्त घटना की जानकारी अपने घर जाकर 100 नम्बर पर पुलिस को दे दी थी, जिस पर पुलिस भी घटनास्थल पर आ गई थी। प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

4. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर में दिनांक 01.09.2016 को समय 12:39 बजे **प्राथमिकी प्रदर्श क–4** मुकदमा अपराध संख्या 421/2016 धारा 307,392,411 भा0दं0सं0 पंजीकृत करायी गयी, जिसकी प्रविष्टी उसी समय कायमी **जी0डी0 प्रदर्श क–5** में की गई।

5. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर **नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–11** तैयार किया गया तथा बाद विवेचना संकलित साक्ष्यों के आधार पर **अभियुक्तगण सोनू व अंकित** के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत **धारा 307,392,411 भा0दं0सं0** में **प्रदर्श क–12** न्यायालय में प्रेषित किया गया,

जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा **अभियुक्तगण सोनू व अंकित** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत **धारा** 307,392,411 **भा0दं0सं0 दिनांक 28.02.2019** को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया।

7. आरोप को साबित करने के लिए **अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य** में औपचारिक गवाहों सहित तथ्यों के निम्नलिखित साक्षीगण को शपथ पर परीक्षित कराया गया–

कम सं0	**साक्षीगण के नाम**	**पी0डब्लू0 संख्या**
1	वादी मुकदमा गोविन्द सिंह	पी0डब्लू0 –1
2	हैड कांस्टेबल अकबर अली	पी0डब्लू0 –2
3	मुख्य आरक्षी विमल पंवार	पी0डब्लू0 –3
4	निरीक्षक सैय्यद हशमुद्दीन	पी0डब्लू0 –4
5	एस.आई. नरेश कुमार	पी0डब्लू0 –5
6	उपनिरीक्षक लोकेन्द्र	पी0डब्लू0 –6
7	निरीक्षक राजीव शर्मा	पी0डब्लू0 –7
8	निरीक्षक देवेन्द्र यादव	पी0डब्लू0 –8

8. मौखिक साक्ष्य की पुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित **अभिलेखीय साक्ष्य** भी प्रस्तुत किये हैं–

कम सं	**विवरण**	**प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0 –1
2	फर्द	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0 –2
3	गिरफ्तारी प्रपत्र सोनू	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0 –2
4	गिरफ्तारी प्रपत्र अंकित	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0 –2
5	जी.डी.	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0 –3
6	नक्शा नजरी (मु.अ.सं.421 / 2016)	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0 –4
7	नक्शा नजरी (मु.अ.सं.503 / 2016)	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0 –5
8.	आरोप पत्र सं.ए361 / 29.11.2016	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0 –5
9.	एस.टी. नं. 593 / 2017 मु.अ.सं. 502 / 2017 की नक्शा नजरी	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0 –5
10.	एस.टी. नं. 593 / 2017 मु.अ.सं. 502 / 2017 का आरोप पत्र	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0 –5
11.	मु.अ.सं. 421 / 2016 की नक्शा नजरी बरादमगी स्थल	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0 –6
12.	आरोप पत्र सं.366 / 2016मु.अ.सं. 421 / 2016	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0 –6
13.	छुरी कपडा पुलिंदे कपडे पर	वस्तु प्रदर्श–1	पी0डब्लू0 –2
14.	छुरी पर	वस्तु प्रदर्श–2	पी0डब्लू0 –2
15.	तमंचा पुलिंदे पर	वस्तु प्रदर्श–3	पी0डब्लू0 –2

16	तमंचे पर	वस्तु प्रदर्श–4	पी0डब्लू0 –2
17.	सोनू से बरामद पुलिंदे पर	वस्तु प्रदर्श–5	पी0डब्लू0 –2
18.	सोनू से बरामद कारतूस पर	वस्तु प्रदर्श–6	पी0डब्लू0 –2
19.	सोनू से बरामद रूपयो के पुलिंदे पर	वस्तु प्रदर्श–7	पी0डब्लू0 –2
20.	नोटो की छायाप्रति पर	वस्तु प्रदर्श–8	पी0डब्लू0 –2
21.	नोटो के दुसरे पुलिंदे पर	वस्तु प्रदर्श–9	पी0डब्लू0 –2
22.	नोटो की छायाप्रतियो पर क्रमशः	वस्तु प्रदर्श–10 ता 12	पी0डब्लू0 –2
23.	अंकित से बरामद पुलिंदे पर	वस्तु प्रदर्श–13	पी0डब्लू0 –2
24.	नोटो की छायाप्रतियो पर क्रमशः	वस्तु प्रदर्श–14 ता 16	पी0डब्लू0 –2
25.	नोटो की रंगीन छायाप्रति पर	वस्तु प्रदर्श–17	पी0डब्लू0 –2
26.	एक नोट पर	वस्तु प्रदर्श–18	पी0डब्लू0 –2
27.	दुसरे नोट पर	वस्तु प्रदर्श–19	पी0डब्लू0 –2

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त **अभियुक्तगण सोनू व अंकित** का बयान **अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0** दिनांक 30.04.2024 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत व झूठ कहा है। अभियुक्त अंकित ने साक्षी पी0डब्लू01 के बयान के संबंध में कथन किया है कि बयान गलत व झूठ है। मेरे द्वारा कोई लूट नही की गई तथा अभियुक्त सोनू ने कथन किया है कि उसे उक्त मुकदमे व बयान की जानकारी नही है। अभियुक्त अंकित ने साक्षी पी0डब्लू02 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत फर्द व प्रपत्र साबित किये है तथा अभियुक्त सोनू ने कथन किया है कि गलत बयान दिया है, कोई सच्चाई नही है। अभियुक्त अंकित ने साक्षी पी0डब्लू03 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत रिपोर्ट दर्ज की है तथा अभियुक्त सोनू ने कथन किया है कि गलत एवं झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। अभियुक्त अंकित ने साक्षी पी0डब्लू04 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत विवेचना की है तथा अभियुक्त सोनू ने कथन किया है कि उसे जांच की जानकारी नही है। अभियुक्त अंकित ने साक्षी पी0डब्लू05 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत आरोप पत्र लगाया व गलत नक्शा बनाया व साबित किया है तथा अभियुक्त सोनू ने कथन किया है कि नक्शा नजरी गलत तरीके से बनाई गयी एवं झूठी है, जांच सही नही है। अभियुक्त अंकित ने साक्षी पी0डब्लू06 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत प्रपत्र साबित किया तथा अभियुक्त सोनू ने कथन किया है कि विवेचना सही प्रकार से नही हुई है। आरोप पत्र न्यायालय में गलत प्रस्तुत किया है। अभियुक्त अंकित ने साक्षी पी0डब्लू07 के बयान के संबंध में कथन किया है कि बयान गलत है तथा अभियुक्त सोनू ने कथन किया है कि किसी भी विवेचक द्वारा कोई बयान नही लिया गया, जो घटना होना बताया वह झूठा एवं गलत है। अभियुक्त अंकित ने साक्षी पी0डब्लू08 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत बयान दिया तथा अभियुक्त सोनू ने कथन किया है कि उससे कोई बरामदगी नही हुई और न ही कोई पूछ ताछ हुई, जो बरामदगी दिखाई गई है वह झूठी है। आरोप पत्र न्यायालय में गलत प्रस्तुत किया है। है। अभियुक्तगण ने गवाहान रंजिशन और वादी मुकदमा से मिलकर झूठी गवाही देते है, मुकदमा झूठा एवं गलत चला, रंजिश के कारण एवं पार्टीबाजी से। अभियुक्तगण ने सफाई देने का कथन किया तथा अपने विशेष कथन में कहा है कि वे निर्दोष है उन्होनें कोई अपराध नही किया है।

10. इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया।

11. अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि समस्त अभियोजन साक्षीगण एवं प्रपत्र अभियोजन कथानक का समर्थन करते है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना केस युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण सोनू व अंकित को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की

गयी है।

12. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त आरोप साबित नहीं हो पाया है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना केस युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

13. विधि व्यवस्था–**भागीरथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1976 इलाहाबाद केसेस सु0को0 1** में माननीय न्यायालय ने कहा है कि–अभियोजन को अपने साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा। उसे बचावपक्ष के कमियों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। विधि व्यवस्था–**लतेश उर्फ दादू बाबूराव कारलेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018(1) सुप्रीम 524** में कहा है कि–The reasonableness of a doubt must be a practical one and not on an abstract theoretical hypothesis. Reasonableness is a virtue that forms as a mean between excessive caution and excessive indifference to a doubt. इसी प्रकार विधि व्यवस्था–**नरेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2018(4) सुप्रीम 482** में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी घटना में उसकी भूमिका एवं संलिप्तता युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित नहीं हो जाता। विधि व्यवस्थाः– **सुरेशचन्द्र जाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2017 (68) SCALE 697** में कहा है कि– "...it is not every doubt but only reasonable doubt of which benefit can be given to the accused... which is the doubt which rational thinking man would reasonably, honestly and conscientiously entertain and not the doubt of a vacillating mind that has no moral courage and prefers to take shelter itself in a vain and idle Scepticism." विधि व्यवस्था–**जैकाम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 (1) जे.आई.सी. 289 सुप्रीम कोर्ट** में कहा है कि burden lies on the prosecution to prove the allegations beyond reasonable doubt. Accused has only to create a doubt about the prosecution case and the probability of defence. An accused is not required to establish or prove his defence beyond reasonable doubt, unlike the prosecution.

14. अभियोजन को युक्ति युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करना है कि दिनांक 30.08.2016 को समय करीब 06:00 रात्रि स्थान पुराना कब्रिस्तान के पास मल्हीपुर रोड क्षेत्र थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर में एक साथ मिलकर वादी मुकदमा गोविन्द सिंह से उसकी मोटरसाईकिल जिसकी डिग्गी में मोटरसाईकिल के कागजात थे, वादी का सेमसंग मोबाईल की लूट की गयी, वादी मुकदमा पर जान से मारने की नियत से फायर किया तथा आपके पास से वादी मुकदमा से लूटे गये रूपयो में से सोनू के कब्जे से मु0 एक हजार रूपये एवं अंकित के कब्जे से अंकन एक हजार रूपये बरामद हुए।

15. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष को साबित करने हेतु जो साक्षी परीक्षित कराये गये है, उनकी साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है–

16. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा गोविन्द सिंह** ने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया कि " दिनांक 30.08.2016 को वह अपनी रिश्तेदारी ग्राम ठाठखेडी थाना नकुड में मैय्यत में गया था। जब वह लौटा तो रात्रि के 09:00 बज चुके थे। उसके पास उसकी मोटरसाईकिल स्पेलण्डर प्लस जिसका नम्बर यूपी11यू–9747 था, से घर आ रहा था। वह अपने गांव से पहले मल्हीपुर रोड पर पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा, पीछे से दो लडके मोटरसाईकिल पर आये। इन्होने उसका रास्ता रोका। उसकी मोटरसाईकिल के सामने अपनी मोटरसाईकिल लगा दी व फायर किया। वह नीचे को गिर गया। फिर इन दोनो लडको ने उसकी जेब से पर्स निकाल लिया, जिसमें 8000/रूपये थे और उसका सेमसंग का फोन निकाल लिया, जिसमें दो सिम चल रहे थे। एक आईडिया का था जिसका नम्बर 9012821097 था व दुसरा वोडा फोन था जिसका नम्बर 7252905785 था। मोटरसाईकिल की डिग्गी में जो कागज थे वो भी ले गये और जाते समय जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायर किया। उसने नीचे गन्ने

के खेत में कूदकर जान बचाई। फिर जैसे तैसे जंगल के रास्ते से घर गया। घर के मोबाईल नम्बर से 100 नम्बर पर फोन किया। पुलिस मौके पर आ गई थी। उसने घटनास्थल पुलिस को दिखा दिया था। फिर पुलिस वालो ने कहा कल थाने पर आ जाना हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेगे। अगले दिन दिनांक 31.08.2014 को वह थाने पर गया व थाने पर तहरीर दी थी। गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या 4क/4 मूल तहरीर देखकर कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने टाईप कराकर थाने पर दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।"

17. बचाव पक्ष की तरफ से की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "घटना वाले दिन मैं कोर्ट में आया था। मैं कोर्ट में सुबह दस बजे से शाम 05:30 बजे तक रहा। घटना के समय मोटरसाईकिल पर मैं अकेला जा रहा था। घटना वाले दिन मैने किसी भी अभियुक्त की पहचान नही की थी। पुलिस ने मेरे सामने किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नही किया, जो मुलजिमान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये गये थे उसकी सूचना मुझे नही दी गयी थी और ना ही पुलिस ने मेरे सामने अभियुक्त सोनू से न तो मोटरसाईकिल बरामद की और न ही मेरा पर्स बरामद हुआ और न ही पर्स में रखे पैसे बरामद हुए। मैं यह भी नही बता सकता कि इन अभियुक्तगण सोनू और अंकित द्वारा इस प्रकरण की घटना कारित की गयी। उपरोक्त मुकदमें से संबंधित तहरीर मेरे द्वारा अज्ञात में थाने पर दी गयी थी। पुलिस ने मेरा इस केस संबंधित कोई बयान नही लिया। पुलिस ने सोनू आदि का नाम कैसे लिखा मैं इसकी वजह नही बता सकता। मुझे सोनू के द्वारा जान से मारने की धमकी नही दी गयी। यह कहना गलत है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना हुई हो और यह कहना भी गलत है कि मैं मुलजिमान को बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा हूं।"

18. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 2 हैड कांस्टेबल अकबर अली** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि मु0अ0सं0 263/2016 व मु0अ0सं0 421/2016 की बरामदगी का वह हमराही है तथा उक्त दोनो मुकदमो की रिकवरी 361/2016, 502/2016 में एस.आई. लविंक त्यागी के साथ वह हमराही था। दिनांक 27.10.2016 को उसके साथ एस.आई. लविक त्यागी, कांस्टेबल राकेश कुमार, थाने से समय 22:50 जीडी रवानगी 45 पर इन्द्राज करके बडी नहर हलालपुर के पास मोटरसाईकिल की रोशनी में जाते समय दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिये। रूकने का इशारा किया, नही रूके, भागने लगे। हम पुलिस वालो ने दिनांक 28.10.2016 की सुबह पांच बजे दोनो को पकड कर नाम पता पूछकर जामातलाशी ली गई। पहले ने अपना नाम सोनू पुत्र काला बताया। इसकी जामातलाशी लेने पर दाहिने सुड्डे से एक छुरी बरामद हुई तथा जीन्स दाहिनी जेब से एक हजार रूपये जिनमें दो नोट पांच सौ के बरामद हुए। जिस पर एक नोट पर 79 लाल पेन व दूसरे पर नीले पैन से 100 लिखा था तथा पिछली जेब से 2500/रूपये, 500–500 के पांच नोट जिनपर दो नोटो पर 30.08.2016 तारीख लिखी थी तथा तीन नोटो पर 16.05.2016 तारीख लिखी थी, बरामद हुये। दुसरे ने अपना नाम अंकित पुत्र कंवरपाल बताया। जामातलाशी लेने पर सुड्डे से 315 बोर का तमंचा तथा जीन्स की दाहिनी जेब से 2000/रूपये दो नोट 1000–1000 के व तीन कारतूस 315 बोर के व एक जीन्स की जेब से 2500/रूपये पांच नोट पांच–पांच सौ के दो नोटो पर 30.8.2016 तीन नोटो पर 16.05.2016 लिखे बरामद हुए। दोनो मुलजिमान को धारा 25/4 व धारा 25 आयुध अधिनियम के जुर्म से अवगत कराते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश/निर्देशो का पालन करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। फर्द एस.आई. लविक त्यागी द्वारा लिखी गई। वह भी मौजूद था। उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है व शिनाख्त करता है। फर्द की प्रति अंकित को दी गयी। फर्द पर उसके हमराही व दोनो अभियुक्तो के हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया तथा गिरफ्तारी प्रपत्र 7क/1 जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। इस पर भी उसके हमराही लविक त्यागी व राकेश व दोनो अभियुक्तो के हस्ताक्षर है। सोनू से बरामद छुरी के पुलिदें पर लिखित समस्त इबारत पठनीय, सील मुहर दुरूस्त हालत में जिनपर अधिकारी रिमाण्ड मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर है, जिस पर हमरही व अभियुक्त सोनू हमराही अकबर, राकेश के भी हस्ताक्षर पठनीय है। इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति की गई कहा गया कि सील पुलिंदा पर तीन सील टूटी हुई, दो पठनीय है, जिसमें खोलने पर एक छुरी निकली कपडे पर **वस्तु प्रदर्श–1** व छुरी पर **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया। इसी क्रम में अभियुक्त अंकित से बरामद तमंचा

के माल पुलिंदे पर समस्त इबारत पठनीय है, जिस पर हमराही राकेश व अभियुक्त अंकित के हस्ताक्षर पठनीय है। बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति की गई। दो सील टूटी हुई। खोलने पर एक तमंचा उक्त लिखित नफर तथा दो कारतूस 315 बोर निकले। पुलिंदे पर **वस्तु प्रदर्श–3**, तमंचे पर **वस्तु प्रदर्श–4** व दो कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–5** व **वस्तु प्रदर्श–6** डाला गया। सोनू से बरामद रूपयो का पुलिंदा खोला गया। एक पुलिंदा खेलने पर उसमें से शासन के आदेश से असल नोट कोषागार में जमा होने के कारण बरामद नोटो की छायाप्रति दो नोटो की आगे पीछे की निकली जो तत्कालीन सी.पी. कठेरिया द्वारा प्रमाणित, जिनपर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–7**, पुलिंदे पर तथा नोटो की छायाप्रति पर **वस्तु प्रदर्श–8** इसी क्रम में दुसरा पुलिंदा खोला, दुसरे पुलिंदे से तीन पांच सो के नोटो की छायाप्रति निकली। छायाप्रति नोटो के आगे पीछे की है जो तत्कालीन एसएचओ0 व कांस्टेबल कठेरिया द्वारा प्रमाणित है जिसके पुलिंदे पर **वस्तु प्रदर्श–9** डाला गया तथा नोटो की छायाप्रति पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–10, 11 व 12** डाला गया। इसी क्रम में अंकित से बरामद पांच सौ के तीन नोटो की रंगीन छायाप्रति निकली, जिनपर दिनांक 16.05.2016 अंकित है जो एस.एच.ओ. द्वारा प्रमाणित है, जिसके पुलिंदे पर **वस्तु प्रदर्श–13** तथा तीन नोटो की छायाप्रति पर **वस्तु प्रदर्श–14, 15 व 16** डाला गया। उक्त पुलिंदा खोला गया जिसमें से दो नोटो की रंगीन छायाप्रति निकली जिनपर 30.08.2016 अंकित पुलिंदे पर **वस्तु प्रदर्श–17** तथा एक नोट पर **वस्तु प्रदर्श–18** व दुसरे पर **वस्तु प्रदर्श–19** डाला गया तथा अभियुक्त अंकित का गिरफ्तारी प्रपत्र एस.टी. नं0 594 / 2017 में संलग्न कागज संख्या 7क अभियुक्त अंकित का गिरफ्तारी प्रपत्र है जिस पर उसके व हमराही राकेश व लविक त्यागी के हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। "

19. बचाव पक्ष की तरफ से की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "22:50 बजे थाने से रवाना होकर चले थे। हम हलालपुर बडी नहर गांव दाबकी गुर्जर की तरफ गये थे। हमे आधा पोन घंटे का समय घटनास्थल पर पहुंचने में लगा था। मुलजिमान को हमने दस मीटर दूर से देखा था। देखते ही रूकने के लिए कहा था, फिर पकड लिया था। मैने सोनू को पकडा था, राकेश दरोगा जी ने अंति को पकडा था। हम करीब पन्द्रह मीटर तक इनके पीछे भागे थे, तब पकडा था। मैं मुलजिमान के पीछे पैदल भागा था और मुलजिमान भी पैदल भागे थे। हम मुलजिमान को पकडने के बाद 15–20 मिनट तक घटनास्थल पर रहे थे। घटनास्थल सहारनपुर से चिलकाना को जाने वाला मुख्य मार्ग है। हम थाने की लैपर्ड मोटरसाईकिल से गये थे और दरोगा जी अपनी मोटरसाईकिल लैपर्ड से थे। हमारी अपाची लैपर्ड थे। दरोगा जी हमे घटनास्थल पर ही मिले थे। दरेगा जी कैसे पहुंचे मुझे याद नही। स्वयं कहा बाईक से गये थे। मुझे बाईक का मॉडल नम्बर व नम्बर मैं नही बता सकता। सहारनपुर–चिलकाना जिस पर घटनास्थल है वह हरियाणा हथनीकुण्ड वैराज, हिमाचल तक रास्ता जाता है। इसी मार्ग से रेत खनन आदि की ट्रालियां वगैरा जाती थी। मुझे जानकारी नही कि मुख्य मार्ग पर भारी वाहन का चलने का समय रात 08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक का होता है। यह कहना गलत है कि मुझे उपरोक्त बात की जानकारी हो और मैं जानबूझकर झूठ बोल रहा हूं तथा घटना के दौरान रात को भारी वाहन आ जा रहे थे। गवाह के लिए आने जाने वालो को रोका था लेकिन उन्होने नाम पता नही बताया था। दरोगा जीने नाम पता न बताने वालो को कोई नोटिस नही दिया था। मुझे जानकारी नही कि कितने लोगो को गवाही के लिए रोका था। दरोगा जी ने हमसे पहले घटनास्थल पर खडे हुए थे। हमारे बाद नही आये थे, सोनू व अंकित दरोगा जी के पास खडे हुए नही थे। मेरे जामातलाशी दरोगा जी ने ली थी। यह बात कि दरोगा जी ने मेरी तलाशी ली थी। दरोगा जी ने अपनी फर्द में नही लिखी मुझे नही पता। दरोगा लविक त्यागी की जामातलाशी किसने ली थी। दरोगा जी ने फर्द बामदगी जमीन पर बैठकर बनायी। मेरे द्वारा अभियुक्त सोनू की जामातलाशी ली गयी थी। मुझे ध्यान नही कि अंकित की जामातलाशी किसने ली थी, जिस समय अभियुक्तगण के हस्ताक्षर कराये थे दोनो मुलजिमान हमारी कस्टडी में थे। मैं वर्ष 2016 में एक साल थाना कोतवाली देहात में रहा था और दरोगा लविश कुमार उसी दौरान एक वर्ष तक मेरे साथ तैनत थे। मुलजिमान को थाने हम लेकर गये थे। मैं और राकेश अपनी मोटरसाईकिल से मुलजिमान को थाने लेकर गये थे। मुलजिमान को मेरे सामने संतरी पहरा को दिखाकर थाने में दिया गया था। संतरी पहरा ने उनकी तलाशी ली थी। अभियुक्तगण के पास से थाने में से कुछ भी नही मिला था। यह

कहना गलत हे कि मुलजिमान से न तो कोई बरामदगी मौके पर की गयी हो और पूरी कार्यवाही थाने पर बैठकर बनायी हो। यह बात सही है कि गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क–3 जो अभियुक्त सोनू की गिरफ्तारी से संबंधित है, पर लिखी 3500/रूपये की रकम पर कटिंग है। यह बात भी सही है कि प्रदर्श क–4 गिरफ्तारी मीमो जो अभियुक्त अंकित से संबंधित है, में भी रकम पर कटिंग है और ऑवर राईट करके 4500/रूपये लिखा गया है। अभियुक्तगण से जो पैसे बरामद हुए थे वह मेरे सामने बरामद हुए थे। सोनू से 3500/रूपये बरामद हुए थे तथा अंकित से 4500/रूपये बरामद हुए थे जो पैसे बरामद हुए थे वह दरोगा जी ने अपनी फर्द में लिख दिये थे। यह बात सही है कि वस्तु प्रदर्श 8, 9, 10, वस्तु प्रदर्श–12 तक कूल पांच–पांच के नोटो की छायाप्रति है जो सिर्फ पांच नोट की प्रति है जो 3500/–रूपये न होकर मात्र 2500/रूपये आज न्यायालय में है। यह भी कहना सही है कि वस्तु प्रदर्श–14, वस्तु प्रदर्श–15, वस्तु प्रदर्श–16, वस्तु प्रदर्श–18, वस्तु प्रदर्श–19 कुल पांच नोट आज न्यायालय में सील पुलिंदा से खोले गये है जो पांच सौ के पांच नोटो की फोटो कापी है और यह भी 4500/रूपये न होकर 2500/रूपये थी। बरामद सामान दरोगा जी ने मौके पर ही मेरे सामने सील किया था। दरोगा जी ने अभियुक्त सोनू से बरामद छुरी को एक पुलिंदा में सील किया था तथा दुसरे पुलिंदे में नोट सील किये थे तथा अभियुक्त अंकित से बरामद तमंचे को एक पुलिंदो में तथा दुसरे पुलिंदे में नोटो को सील किया था। कुल चार पुलिंदे सील हुए थे । आज न्यायालय के सामने दोनो अभियुक्तगण के दो–दो पुलिंदे की वजह से तीन–तीन पुलिंदे खोले गये थे। यह पुलिंदे दो–दो से तीन–तीन कैसे हुए मैं नही बता सकता। अभियुक्तगण से असल नोट बरामद हुए आज न्यायालय के सामने छायाप्रति है। असल ही नोट सील किये गये थे। इन पुलिंदो को खोलने की अनुमति या न्यायालय का कोई आदेश पत्रावली पर आज मेरे समने मौजूद नही है और नोटो की छायाप्रति भी सी.पी. कटारिया थाना प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर है, जो तारीख नोटो की छायाप्रति 28.12.2016 नोटो पर प्रमाणित करने की डाली हुई है इस दिनांक को मैं थाना कोतवाली देहात पर ही तैनात था व एस.आइ. शिवम कुमार भी थाने पर तैनात थे। यह कहना गलत है कि सील पुलिंदो के साथ गलत तरीके से छेड छाड की गयी हो। अंकित से बरामद नोटो में कोई भी एक हजार के नोट की प्रति आज मेरे सामने प्रत्रावली पर मौजूद नही है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 में अंकित से एक हजार रूपये के दो नोट बरामद होना बताया है। यह नोट आज न्यायालय में नही है। मैं इसकी कोई वजह नही बता सकता। माल मुकदमा दरोगा जी की सील मुहर आज पढने में नही आ रही है। नोटबंदी के बाद जो सभी नोट सील किये गये है इस पर भी कोई सील मुहर नही लगी हुई है। दरोगा जी ने नमुना मोहर मौके पर बनाया था परन्तु आज मेरे सामने कोई नमुना मोहर पत्रावली में नही है। यह कहना गलत है कि कोई नमुना मोहर मौके पर न बनाया हो और इसी कारण कोई नमुना मोहर पत्रावली पर न हो। यह कहना गलत है कि बरामद माल मौके से अभियुक्त से बरामद न हुआ और दरोगा जी ने कुल बरामदगी मौके से झूठी व फर्जी दिखायी हो। मुझे याद नही जिनके द्वारा उनके साथ चोरी होना बताया गया उन्हें किसी को मौके पर बुलाया था या नही। दरोगा जी ने लेकिन मेरे सामने किसी ने मौके पर नही बुलाया। मुझे इस बात की भली भांति जानकारी है कि दोनो अभियुक्त बाल्मिकी समाज से है कि परन्तु थाने में पडे मुकदमे को खोलने के लिए दरोगा जी गरीब परिवार के लडको को झूठा फसाया हो। यह बात सही है कि सील पुलिंदा जिसमें छुरी सील की गयी है पर लिखी इसकी इबारत एक ही लाल कलम से दरोगा जी द्वारा लिखी गयी थी। दोनो सील पुलिंदा पर दरोगा लविक कुमार द्वारा उसी कलम से मु0अ0स0 लिखा गया है। जब पुलिंदो दरोगा जी द्वारा मौके पर सील किये गये थे तब यह मु0अ0स0 मौके पर लिखा गया था। यह कहना गलत है कि दरोगा जी ने पहले से मुलजिमान को थाने पर बैठा रखा हो और कई दिन थाने में रखकर गलत बरामदगी दिखाकर झूठा चालान किया गया हो।"

20. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 3 विमल पंवार** मुख्य आरक्षी ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि " दिनांक 01.09.2016 को वह थाना कोतवाली देहात पर बतौर सी.सी. के पद पर तैनात था। उस दिन थाने पर प्रार्थी गोविन्द सिंह पुत्र कंवरपाल निवसी ग्राम सढोली हरिया थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर एक टाईप शुदा तहरीर लेकर आये थे। एस0एच0ओ0 के मौखिक आदेश पर उसके द्वारा

तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 421/2016 अन्तर्गत धारा 307,392 भा0द0सं0 बनाम अज्ञात दो व्यक्ति पंजीकृत किया गया था जिसका खुलासा उसके द्वारा जी0डी0 नं0 23 पर किया गया था। चिक पत्रावली पर कागज संख्या 4क/1 ता 4क/2 है, जिस पर थाने की मोहर है तथा एस.आई. तुफान सिंह की मोहर व हस्ताक्षर है जिन्हें वह पहचानता है, चिक पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। जी.डी. पत्रावली पर कागज संख्या 4क/3 है जिसे वह प्रमाणित करता है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।''

21. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ''वादी मुकदमा तहरीर मेरे पास लेकर आया, इसके परिवार के सदस्य साथ में थे। नाम मुझे याद नही। ये तहरीर लेकर थाने दिनांक 01.09.2016 को आये थे। समय लगभग 12 बजे थे। मैने तहरीर पर एस.एच. ओ. के आदेश नही कराये थे। मौखिक आदेश पर ही मुकदमा दर्ज किया था। इस केस के विवेचक का नाम मुझे याद नही हैं। उसने मेरे बयान लिये थे, किस दरोगा ने बयान मेरे लिये थे, मुझे ध्यान नही है। यह बात सही है कि वादी मुकदमा ने मुझे किसी मुलजिम का नाम तहरीर में या मौखिक नही बताया था, जो तहरीर ुझे दी थी, उसी के आधार पर जी.डी. में इन्द्राज कर दिया था, जो प्रार्थना पत्र दिया था उसी के आधार पर मैने धाराऐं लिखी थी। इस केस में मेरा इस तहरीर के अलावामेरा अन्य कोई रोल नही रहा''

22. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 4 निरीक्षक सैय्यद हशामुद्दीन** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि '' दिनांक 02.09.2016 को वह थाना कोतवाली देहात पर बतौर एस.आई. तैनात था। थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 421/2016 धारा 307,392 भा0द0सं0 बनाम दो बदमाश अज्ञात की विवेचना उसके सुपुर्द की गयी थी। विवेचना ग्रहण करने के बाद उसके द्वारा उसी दिन सीडी का पर्चा नं01 किता किया गया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट प्राप्त कर उनका अवलोकन कर इन्द्राज सीडी में किया। बयान वादी गोविन्द सिंह अंकित किये तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा मौके पर नक्शा नजरी तैयार किये। नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज संख्या 6क/2 है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। लुटी गयी मोटरसाईकिल की गस्ती तलाश उसके द्वारा जारी की गयी। माल व मुलजिम की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर मामूर किये गये। पर्चा नं0 2 दिनांक 10.09.2016 को किता किया गया। जनपद के सम्भावित स्थानो पर माल व मुलजिम की तलाश की गयी। पुनः मुखबिर मामूर किये गये। सीडी नं03 दिनांक 21.09.2018 को किता किया गया जिसमें सर्विलायंस सेल से वादी के लूटे गये मोबाईल नम्बरो की सीडीआर प्राप्त हुई जिसमें लूट के पश्चात मोबाईल की लोकेशन नही आई। अतः उक्त मोबाईल की आई.एम.आई नम्बर से कराई गयी मुखबिर को वास्तविक तलाश मुलजिम मामूर किया गया। सीडी–4 व 5 दिनांक 05.10.2016 तथा 15.10.2016 को किता किया गया, जिसमें माल व मुलजिम की विभिन्न सम्भावित स्थानो पर तलाश की गयी। असफलता के पश्चात मुखबिर मामूर किये गये। तत्पश्चात उसका स्थानांतरण हो गया। विवेचना किसी अन्य विवेचक द्वारा की गयी होगी।''

23. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि '' उपरोक्त वाद की विवेचना मुझे मिली थी, जिसमें अभियुक्तगण सोनू व अंकित की गिरफ्तारी मेरे द्वारा की गयी और न ही और न ही मेरे द्वारा कोई बरामदगी की गयी। मेरे द्वारा उपरोक्त वाद में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल पर भी मुझे कोई मुलजिमान के खिलाफ कोई साक्ष्य या माल बरामद नही हुआ। उपरोक्त वाद में मेरे द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नही किया गया। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा न्यायालय में माल मुकदमा व आरोप पत्र दाखिल किये गये हो। यह बात सही है कि मेरे द्वारा उपरोक्त वाद की विवेचना मेरे बाद किसी अन्य ने की हो। यह बात सही है कि प्रदर्श क–6 में जो नक्शा नजरी दिखाया गया है वह मुख्य मार्ग का स्थान है। मैं इस मुकदमे से पहले से ही थाना कोतवाली देहात पर तैना था। मैं जनपद सहारनपुर में लगभग पांच साल तक तैनात था। यह बात सही है कि मल्हीपुर रोड सहारनपुर का मुख्य मार्ग है जो देवबंद को जाता है। लोग आते–जाते रहते है। मुझे घटना से गोली चलने के बाबत कोई खोखा कारतूस बरमाद हुए न ही मुझे घटनास्थल से कोई चिन्ह मिला जिससे कहा जा सकता हो कि यहां पर गोली चली हो। मैने आस पास के खेतो के लोगो से घटना

के संबंध में पूछताछ करने की कोशिश की थी किन्तु मुझे किसी ने नही बताया था। यह कहना गलत है कि मौके पर कोई घटना न हुई हो और मैने वादी से मिलकर गलत नक्शा नजरी बनाया हो।"

24. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 5 एस.आई. नरेश कुमार** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि " दिनांक 28.10.2016 को वह थाना कोतवाली देहात में एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन मु0अ0स0 503/2016 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम अंकित पंजीकृत होकर विवेचना उसके सुपुर्द की गई। उसके द्वारा दिनांक 28.10.2016 को सीडी–1 में नकल एफ.आई.आर., नकल रपट, बयान एफ.आई. आर. लेखक, बयान अभियुक्त लेकर किता किया गया। दिनांक 31.10.2016 को बयान वादी लविक त्यागी व अकबर अली व कांस्टेबल राकेश कुमार के बयान अंकित किये तथा वादी की निशनदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। नक्शा नजरी कागज संख्या 5क है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, पुष्टि करता है, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया व दिनांक 21.11.2016 को विवेचना मय साक्ष्य के आधार पर उसके द्वारा अभियुक्त अंकित के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या ए361/29.11.2016 धारा 25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा दिनांक 22.12.2016 को जिलाधिकारी से परमिशन लेकर दिनांक 24.12.2016 को एससीडी में अभियोग चलाने हेतु जिलाधिकारी की स्वीकृति का पर्चा एससीडी के रूप में किता किया। आरोप पत्र पर उसके हस्ताक्षर, शिनाख्त करता है, आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–8** डाल गया। इसी क्रम में संलग्न पत्रावली एस.टी.नं0 593/2017 मु0अ0स0 502/2017 बनाम सोनू पंजीकृत होकर इसकी विवेचना भी उसके सुपुर्द की गई। उसके द्वारा दिनांक 28.10.2016 को विवेचना गृहण कर सीडी–1 में नकल एफ. आई.आर., नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक, बयान अभियुक्त लेकर किता किया व दिनांक 31.10.2016 को बयान वादी एस.आई. लविक त्यागी निरीक्षण घटनास्थल व बयान गवाह अकबर व कांस्टेबल राकेश कुमार किता किया गया। आरोप पत्र व नक्शा नजरी उसके हस्तक्षर में, शिनाख्त करता है, नक्शा नजरी पर **प्रदर्श क–9** व आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–10** व डाला गया।"

25. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि " मैं कोतवाली देहात थाने पर वर्ष 2016 में तैनात रहा। कुल समय कितने रहा मुझे अब याद नही। सहारनपुर में 2015 से 2017 तक रहा है। मैं जनपद सहारनपुर के देवबंद, गंगोह व कोतवाली देहात में तैनात रहा। थाना कोतवाली देहात शहर सहारनपुर से मिला हुआ शहर के अन्दर का ही थाना है। घटनास्थल गांव हलालपुर के पास का है। हलालपुर से चिलकाना की तरफ है। मुझे जानकारी नही है कि हलालपुर से कितनी दूर है। मैं नही कहा सकता कथित घटनास्थल हलालपुर से 100 मीटर के दायरा में मिला हुआ स्थान है। यह कहना गलत है कि राजवाहे से करीब आधा किलोमीटर आगे तक गांव हलालपुर की आबादी बनी हुई थी। रजवाहा पटरी गांव हलालपुर भागपुर बुडढाखेडा व दाबकी गांव को आपस मे जोडती है। इस रास्ते पर पब्लिक की आवाजाही रहती है। लेकिन आवाजाही हर समय नही रहती। यह कहना गलत है कि इस पटरी पर हर समय लोगो की आवाजाही रहती हो और अब मैं आवा जाही वाली बात न्यायालय में झूठ बोल रहा हूं। मैने लोकल के व्यक्तियो से घटना के संबंध में जानकरी करने का व घटना का सत्यापन करने का प्रयास किया था। परन्तु घटनास्थल के आस पास कोई मौजूद नही था। मैं घटनास्थल पर एक बार निरीक्षण के दौरान ही गया हूं। उसके बाद दोबारा नही गया न उसके बाद दोबारा घटना का सत्यापन करने का प्रयास किया। घटनास्थल का निरीक्षण मुझे वादी मुकदमा एस.आई. लविक त्यागी ने कराया था। घटनास्थल के बारे में कि यहां कोई घटना जैसी एस.आई. लविक त्यागी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है या नही, जानने के लिये मैने किसी पब्लिक के व्यक्ति का कोई बयान नही लिया। घटनास्थल पर मैने कोई पैरो के निशान नही देखे थे न ही नक्शे में दिखाये है। मैने घटनास्थल बनाये वादी द्वारा अभियुक्तगण को पकडने का स्थान वादी के बताने पर लिखा है। स्वयं घटनास्थल पर ऐसा कोई साक्ष्य नही देखा था जिससे कथित घटना का होना कहा जा सके। मैं घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिये दिनांक 31.10.2016 को गया था। यह बात सही है कि प्रदर्श क–7 नक्शा नजरी में मेरे हस्ताक्षर के नीचे लिखी गई तारीख में कटिंग है व ओवरराईट करके दुबारा तारीख लिखी गई है। महीने में दस को ओवर राईट किया हुआ है। परन्तु यह कहना गलत है कि मैने 31.11.2016 को काटकर 31.10.2016 लिखा हो तथा इसी तरह की कटिंग सीडी के पर्चा नं02 में लिखी

तारीख पर है। यह कहना गलत है कि भीड–भाड वाला स्थान होते हुये भी मैने थाना पुलिस द्वारा की गई झूठी व फर्जी कार्यवाही को सही साबित करने के लिए गलत विवेचना दिखाकर गलत आरोप पत्र प्रेषित किया हो। इस मुकदमे की सही विवेचना न की हो। यह कहना भी गलत है कि इस घटना जैसी कोई घटना न हुई हो और मुलजिमान को झूठा फसाया गया हो ओर झूठा फसाने के लिये ही मैने पब्लिक के कोई गवाह का बयान न लिया हो। यह कहना गलत है कि मैने मुकदमे की विवेचना थाने बैठकर झूठी व फर्जी की हो और तमंचे की बरामदगी न हुई हो व बरामदगी झूठी व फर्जी दिखाई गयी हो। यह बात सही है कि जिलाधिकारी द्वारा अभियोग चलाने की अनुमति की प्रति आज मेरे सामने पत्रावली पर नही है। मैं निश्चित तारीख परमिशन होने की नही बता सकता। यह कहना गलत है कि जिलाधिकारी से अभियोजन चलाने की कोई इजाजत न ली गई हो।"

26. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 6 उप निरीक्षक लोकेन्द्र** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि " दिनांक 01.09.2016 को वह थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 421/2016 बनाम अज्ञात धारा 307,392 भा0द0सं0 पंजीकृत होकर विवेचना एस.आई. सैय्यद हसमुद्दीन के सुपुर्द की गई। उसके द्वारा सीडी के व दुसरे विवेचक द्वारा सीडी के पर्चा नं0 1 ता 07 विवेचना की एक सीडी पर्चा किता किया। उसके द्वारा सीडी–8 में दिनांक 24.11.2016 को विवेचना गृहण कर पूर्व किता सीडी का अवलोकन किया तथा सीडी का पर्चा नं0–8 किता किया तथा दिनांक 11.12.2016 को सीडी–9 में गवाह उप निरीक्षक लविक त्यागी व गवाह कांस्टेबल अकबर अली व राकेश कुमार का बयान लेकर किता किया तथा नक्शा नजरी बरामदगी स्थल उसके लेख व हस्ताक्षर में किया जो पत्रावली में कागज संख्या 6क है, जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। मय विवेचना मय साक्ष्यो के आधार पर उसके द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र काला व अंकित पुत्र कंवर के विरूद्ध धारा 307,392,411 भा0द0सं0 में आरोप पत्र संख्या 366/2016 न्यायालय में प्रेषित किया। आरोप पत्र संख्या 3क/1 ता 3क/3 है जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। "

27. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि" मेरे द्वारा वादी मुकदमा से कोई शिनाख्त अभियुक्तगण की नही कराई गयी थी। मैने फर्द के गवाह के अलावा पब्लिक के किसी गवह का बयान नहीं लिया था। क्योंकि घटना कई दिन पहले हो चुकी थी। जब मैं घ टनास्थल पर गया उस दिन कोई मौके पर नही मिला था। घटनास्थल वाला रोड एक व्यस्त रोड है, जिस पर हर समय पब्लिक की आवा जाही रहती है। नक्शा नजरी कांस्टेबल राकेश कुमार की निशानदेही पर तैयार किया गया था, जिस दिन बयान लिये थे उसी तदन तैयार किया था। यह बात सही है कि नक्शा नजरी पर कोई तिथि अंकित नही है और न ही मेरी केस डायरी में सी0ओ0 के हस्ताक्षर के नीचे कोई तारीख है। एस.आई. लविक कुमार नक्शा बनवाने के लिए मेरे साथ नही गये थे। यह कहना गलत है कि मेरी पुलिस द्वारा दिखाई गयी फर्जी बरामदगी को सही मानते हुए पब्लिक का कोई गवाह न लेकर गलत आरोप पत्र प्रेषित किया हो। यह कहना भी गलत है कि मैं कभी घटनास्थल पर न गया हूं न कभी ऐसी घटना न घटी हो।"

28. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 7 निरीक्षक राजीव शर्मा** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 24.10.2016 को वह थाना कोतवाली देहात पर बतौर एस.आई. तैनात था। थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 421/2016 अन्तर्गत धारा 307,392 भा0द0सं0 बनाम अज्ञात की विवेचना एस.आई. हिशामुद्दीन द्वारा की जा रही थी। उनका स्थानांतरण हो जाने के बाद विवेचना उसे सुपुर्द की गयी। विवेचना ग्रहण करने के बाद उसके द्वारा उसी दिन सीडी का पर्चा नं06 किता किया गया, जिसमें उसके द्वारा पूर्व किता सीडी का अवलोकन किया गया। सीडी का पर्चा नं07 दिनांक 28.10.2016 को किता किया। मु0अ0सं0 502/2016 मय गिरफ्तार अभियुक्त सोनू पुत्र काला के बयान अंकित किये। मु0अ0सं0 503/2016 मय गिरफ्तार अभियुक्त सोनू पुत्र काला के बयान अंकित किया गया। बयान गवाह देवेन्द्र सिंह यादव व बयान अभियुक्त अंकित का अंकित किया गया। उसका स्थानांतरण होने के कारण उसकी विवेचना अन्य विवेचक द्वारा ग्रहण किया गया।"

29. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि" यह बात सही है कि उपरोक्त वाद मे दौरान विवेचना मुझे जांच दी गयी और उपरोक्त वाद में ही मेरे द्वारा 02 पर्चे

काटे गये। मेरे द्वारा अभियुक्तगण की कोई गिरफ्तारी की गयी और ना ही मेरे द्वारा बरामदगी आदि की गयी। क्योकि मैं थाने पर बीस दिन रहा था और मेरा स्थानांतरण हो गया था।"

30. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 8 निरीक्षक देवेन्द्र यादव** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 28.10.2016 को वह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 421/2016 धारा 307,392 भा0द0सं0 एवं मु0अ0सं0 263/2016 धारा 392,506 भा0द0सं0 से संबंधित अभियुक्तगण सोनू पुत्र काला निवासी दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर, अभियुक्त अंकित पुत्र कवरपाल निवासी तिरपडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर हवालात में निरूद्ध थे। हवालात के गेट पर अभियुक्तगण को तसल्ली देकर थाना क्षेत्र में हुये लूट की घटना के संबंध में पूछताछ की, दोनो ने बताया कि 5–6 महीने पहले उन्होने एक एक्टिवा स्कूटर यूपी 11एएक्स–5971 पर जा रहे एक व्यक्ति को रामनगर क्षेत्र में रजवाहे की पटरी पर तमंचा दिखाकर एक्टिवा लूटी थी, डिग्गी खोलकर चेक किया तो चार लाख रूपये मिले थे। एक्टिवा को आगे छोडकर भाग गये थे और लूट के रूपये 2–2 लाख रूपये बांट लिये थे। उनमें से उनके पास 1500–1500 रूपये है जो पुलिस ने बरामद कर लिये थे बाकी रूपये मौज मस्ती में खर्च हुये थे। जब भी वे लूट करते है तो लूटे हुये नोटो पर तारीख डाल देते है। पुलिस ने जो उनसे रूपये बरामद किये है उन पर तारीख पडी हुई है। दोनो ने यह भी बताया कि दिनांक 30.08.2016 को रात के 09:00 बजे के लगभग मल्हीपुर रोड पर पुराना कब्रिस्तान के पास मोटरसाईकिल पर आ रहे व्यक्ति पर फायर करके उसकी स्पेलण्डर मोटरसाईकिल व आठ हजार रूपये नकद पर्स व मोबाईल लूटा था। पर्स व मोबाईल उन्होने फेंक दिये थे। मोटरसाईकिल उन्होने कबाडी को बेच दी थी। कबाडी का नाम नही जानते। रूपये उन्होने बराबर–बराबर बांट लिये थे। इस लूट में से दोनो पर 1000–1000 रूपये बचे थे जो पुलिस ने हमसे बरामद कर लिये थे। इन नोटो पर भी तारीख डाल रखी थी। दोनो ने ये भी बताया कि दिनांक 23.10.2016 को ग्राम भोजपुर गुर्जर पीर के पास उन दोनो ने अपने साथ अजय पुत्र जसवीर निवासी ग्राम तिरपडी थाना नकुड के साथ मिलकर शाम के समय एक मोटरसाईकिल सीटी–100 नम्बर यूपी11एआर–3768 से जा रहे एक परिवार को सोनू ने तमंचा दिखाकर व अजय व अंकित ने जबरदस्ती एक बैग एक आदमी से छीनकर भाग लिये। अजय को मोटरसाईकिल सहित पब्लिक ने पकड लिया था। ये दोनो खेतो से होकर भाग गये थे। इस लूट में तीनो को आठ हजार रूपये बैंग से मिले थे। दो हजार रूपये अजय का हिस्सा छोडकर बाकी रूपये दोनो ने बांट लिये थे। आज जो रूपये उनसे बरामद हुये है उनमें से दो हजार रूपये अंकित व एक हजार रूपये सोनू से बरामद हुये थे वो इसी लूट की घटना के है। विवेचक ने उसका बयान दिनांक 28.10.2016 को ही अंकित किया था।"

31. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि" इस मुकदमे में विवेचक एस0आई0 राजीव शर्मा थे। मेरे द्वारा मात्र मुलजिमान से पूछ–ताछ की गई थी। पूछ–ताछ का कोई इन्द्राज मेरे ,द्वारा केस डायरी में अंकित नही किया गया। जीडी में अंकित कराया गया था। ऐसी कोई जीडी मेरे द्वारा हस्ताक्षर की हुई आज पत्रावली पर नही है। मुझसे पहले गिरफ्तारी करने वाले एस.आई. लविक त्यागी ने अभियुक्तगण से पूछ–ताछ कर ली थी। बरामद माल भी मेरे सामने आ चुका था, माल सीलबंद था। माल लविक त्यागी की मोहर से सील था। मुझे याद नही कि माल कुल कितने बंडल में पैक था। मेरे पूछ–ताछ करने के समय एस.आई. लविक त्यागी मौजूद थे, फिर कहा उनकी मौजूदगी अनिवार्य नही थी। यह बात सही है कि बरामद माल एस.आई. लविक त्यागी व उसकी टीम द्वारा बरामद किया था। उनकी बरामदगी को ही सही मान लिया था। बरामदगी के संबंध में अपने स्तर से स्वयं कोई जांच नही की थी। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण पूछ–ताछ के समय पुलिस अभिरक्षा में थे। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से कोई माल बरामद न हुआ हो और मैने पुलिस कारगुजारी सही दिखाने के लिए गलत तश्करा पूछ–ताछ दिखाया हो।"

32. अभियोजन की तरफ से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) **श्री सतीश कुमार सैनी** एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता **श्री के.के. जैसवाल** को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

33. बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा गोविन्द सिंह पर जानसे मारने की नियत से हमला नही किया गया एवं अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से लूट कारित नही की गयी।

34. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक अनुसार घटना के दिन अर्थात दिनांक 30.08.2016 को प्रार्थी अपनी रिश्तेदारी में ग्राम ठाठहेडी थाना नकुड से अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार कराकर समय करीब 09:00 रात्रि अपने ग्राम सढौली हरिया थाना कोतवाली देहात अपनी मोटरसाईकिल स्पलेंडर प्लस नम्बर यूपी11यू–9747 से जा रहा था, जैसे ही प्रार्थी मल्हीपुर रोड पर सढौली हरिया से पहले पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो पीछे से दो व्यक्ति मोटरसाईकिल पर आये जिन्होंने आते ही प्रार्थी की मोटरसाईकिल के आगे अपनी मोटरसाईकिल लगाकर प्रार्थी को रोक लिया तथा उन्होंने प्रार्थी पर फायर किया, जिससे डरकर प्रार्थी नीचे गिर गया तो इन दोनो बदमाशो ने प्रार्थी से मोटरसाईकिल व सैमसंग का डबल सिम मोबाईल जिसमें आईडिया सिम नं0 9012821097 तथा वोडा फोन सिम नं0 7252905785 चल रहा था तथा प्रार्थी का पर्स जिसमें 8000/रूपये, प्रार्थी के पहचान पत्र व अन्य जरूरी कागजात थे, लूट लिये। मोटरसाईकिल के कागज भी मोटरसाईकिल की डिग्गी में थे। इन बदमाशो ने जाते समय भी प्रार्थी को जान से मारने की नियत से फायर किया।

35. साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि" दिनांक 30.08.2016 को वह अपनी रिश्तेदारी ग्राम ठाठखेडी थाना नकुड में मैय्यत में गया था। जब वह लौटा तो रात्रि के 09:00 बज चुके थे। उसके पास उसकी मोटरसाईकिल स्पेलण्डर प्लस जिसका नम्बर यूपी11यू–9747 था, से घर आ रहा था। वह अपने गांव से पहले मल्हीपुर रोड पर पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा, पीछे से दो लडके मोटरसाईकिल पर आये। इन्होने उसका रास्ता रोका। उसकी मोटरसाईकिल के सामने अपनी मोटरसाईकिल लगा दी व फायर किया। वह नीचे को गिर गया। फिर इन दोनो लडको ने उसकी जेब से पर्स निकाल लिया, जिसमें 8000/रूपये थे और उसका सेमसंग का फोन निकाल लिया, जिसमें दो सिम चल रहे थे। एक आईडिया का था जिसका नम्बर 9012821097 था व दुसरा वोडा फोन था जिसका नम्बर 7252905785 था। मोटरसाईकिल की डिग्गी में जो कागज थे वो भी ले गये और जाते समय जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायर किया। उसने नीचे गन्ने के खेत में कूदकर जान बचाई। फिर जैसे तैसे जंगल के रास्ते से घर गया। घर के मोबाईल नम्बर से 100 नम्बर पर फोन किया। पुलिस मौके पर आ गई थी। उसने घटनास्थल पुलिस को दिखा दिया था। फिर पुलिस वालो ने कहा कल थाने पर आ जाना हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेगे। अगले दिन दिनांक 31.08.2014 को वह थाने पर गया व थाने पर तहरीर दी थी। गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या <u>**4क/4**</u> मूल तहरीर देखकर कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने टाईप कराकर थाने पर दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।"

36. उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि "घटना वाले दिन वह कोर्ट में आया था। वह कोर्ट में सुबह दस बजे से शाम 05:30 बजे तक रहा। घटना के समय मोटरसाईकिल पर वह अकेला जा रहा था। घटना वाले दिन उसने किसी भी अभियुक्त की पहचान नही की थी। पुलिस ने उसके सामने किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नही किया, जो मुलजिमान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये गये थे उसकी सूचना उसे नही दी गयी थी और ना ही पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त सोनू से न तो मोटरसाईकिल बरामद की और न ही उसका पर्स बरामद हुआ और न ही पर्स में रखे पैसे बरामद हुए। वह यह भी नही बता सकता कि अभियुक्तगण सोनू और अंकित द्वारा इस प्रकरण की घटना कारित की गयी। तहरीर उसके द्वारा अज्ञात में थाने पर दी गयी थी। पुलिस ने उसका इस केस संबंधित कोई बयान नही लिया। पुलिस ने सोनू आदि का नाम कैसे लिखा वह इसकी वजह नही बता सकता। उसे सोनू के द्वारा जान से मारने की धमकी नही दी गयी।

37. प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा गोविन्द सिंह घटना अन्तर्गत धारा 307 एवं 392 भा0द0सं0 का एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी है। वादी मुकदमा द्वारा वर्तमान प्रकरण से संबंधित तहरीर अज्ञात में दी गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो व्यक्ति अज्ञात में दर्ज हुई। घटना से

संबंधित अभियुक्त सोनू व अंकित की गिरफ्तारी घटना के लगभग 30 दिन बाद किसी अन्य स्थान से हुई। साक्षी संख्या–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना वाले दिन उसके द्वारा किसी भी अभियुक्त की पहचान नही की गयी थी। पुलिस द्वारा मुलजिमान को वादी मुकदमा के सामने गिरफ्तार नही किया गया। पुलिस द्वारा मुलजिमानो की गिरफ्तारी के संबंध में वादी मुकदमा को कोई सूचना प्रदान नही की गयी। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के उपरान्त अभियुक्तगण के कब्जे से ना तो वादी मुकदमा की मोटरसाइकिल और ना ही वादी मुकदमा का पर्स बरामद किया गया और ना ही पर्स में रखे पैसे बरामद हुए। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट कहा कि मैं यह नही बता सकता कि इन अभियुक्तगण सोनू व अंकित द्वारा इस प्रकारण की घटना कारित की गयी। पुलिस द्वारा वादी मुकदमा का कोई बयान नही लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी नही दी गयी साथ ही उक्त साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि अभियुक्तगण का नाम वर्तमान प्रकरण में पुलिस द्वारा कैसे लिखा गया इसकी उसको कोई जानकारी नही है। अतः स्पष्ट है कि उक्त साक्षी संख्या–1, जो घटना का एक मात्र साक्षी है, द्वारा अभियुक्तगण की पहचान नही कराई गयी। पुलिस द्वारा उक्त साक्षी का कोई बयान नही लिया गया। अभियुक्तगण से लूट की घटना से संबंधित मोटरसाईकिल, पैसे व पर्स बरामद नही हुआ है। उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है। अभियोजन कथानक अनुसार अभियुक्तगण की प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्तता मात्र इस आधार पर दर्शायी गयी है कि अभियुक्तगण को जब दिनांक 28.10.2016 की सुबह गिरफ्तार किया गया तब अभियुक्तगण की जेब से दिनांक 30.08.2016 की कथित घटना से संबंधित कुछ नोट प्राप्त हुये थे। अभियोजन कथानक अनुसार अभियुक्तगण जब लूट करते थे तो उनके द्वारा लूट में प्राप्त नोटो पर दिनांक अंकित की जाती थी। ऐसे ही कुछ नोटो पर दिनांक 30.08.2026 अंकित थी, अभियुक्तगण के कब्जे से दिनांक 28.10.2016 को प्राप्त हुए थे, जिस आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियुक्तगण दिनांक 30.08.2016 की घटना में शामिल थे। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू04 निरीक्षक सैय्यद हशमुद्दीन द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि घटना से गोली चलने की बाबत कोई खोखा कारतूस बरामद नही हुआ ना ही मुझे घटना स्थल से कोई चिन्ह ऐसा मिला जिससे कहा जा सकता यहां पर गोली चली थी। आस पास के लोगो से पूछे जाने पर किसी के द्वारा विवेचक को कोई जानकारी प्रदान नही की गयी। साक्षी संख्या–5 एस.आई. नरेश कुमार द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि उसके द्वारा लोकल के व्यक्तियो से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया परन्तु घटनास्थल के आस पास कोई मौजूद नही था। साक्षी संख्या–6 लोकेन्द्र द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि उसके द्वारा वादी मुकदमा की कोई शिनाख्त अभियुक्तगण से नही करायी गयी। उक्त साक्षी द्वारा फर्द के गवाह के अलावा फर्द के किसी गवाह का बयान नही लिया था, जब उक्त साक्षी द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया तो मौके पर कोई नही मिला था। घटनास्थल व्यस्त रास्ता है जिसमें पब्लिक की आवा जाही रहती है। साक्षी संख्या–8 उप निरीक्षक देवेन्द्र यादव द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि जब अभियुक्तगण लूट करते है तो लूटे हुये नोटो पर तारीख डाल देते है। पुलिस ने जो उनसे रूपये बरामद किये है उन पर तारीख पडी हुई है। दोनो ने यह भी बताया कि दिनांक 30.08.2016 को रात के 09:00 बजे के लगभग मल्हीपुर रोड पर पुराना कब्रिस्तान के पास मोटरसाईकिल पर आ रहे व्यक्ति पर फायर करके उसकी स्पेलण्डर मोटरसाईकिल व आठ हजार रूपये नकद पर्स व मोबाईल लूटा था। पर्स व मोबाईल उन्होने फेंक दिये थे। मोटरसाईकिल उन्होने कबाडी को बेच दी थी। कबाडी का नाम नही जानते।

38. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण की प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्पता संदेह से परे साबित नही है। पुलिस द्वारा वादी मुकदमा से अभियुक्तगण की पहचान नही करायी गयी। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से लूट से संबंधित मोटरसाइकिल, पर्स व पैसे बरामद नही कराये गये। पुलिस द्वारा घटनास्थल से कोई खोखा, कारतूस बरामद नही कराया गया है। घटना से संबंधित कथित नोट/रूपये जो न्यायालय के समक्ष बतौर साक्ष्य प्रस्तुत कराये गये वह असली नोटो की रंगीन छायाप्रतियां है। घटना में प्रयुक्त कथित तमंचा जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया, अभियोजन द्वारा उसके संबंध में कोई

एफ.एस.एल. रिपोर्ट पत्रवली पर दाखिल नही गयी है, जिससे यह साबित हो सके कि तमंचा चलती हालत में था एवं यह वही तमंचा है जो अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना के समय इस्तेमाल किया गया था। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण को घटना दिनांकित 30.08.2016 से मात्र कुछ कथित नोटो के आधार पर जोडा गया है। अभियोजन द्वारा कोई वैज्ञानिक एवं स्वंतत्र साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही कराया गया है, जिससे घटना की पुष्टि हो सके। अतः यह न्यायालय बचाव पक्ष के तर्क में बल पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा गोविन्द सिंह पर जानसे मारने की नियत से हमला नही किया गया एवं अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से लूट कारित नही की गयी। उक्त बचाव तर्क का निस्तारण अभियोजन के प्रतिकूल एवं अभियुक्तगण के पक्ष में किया जाता है।

39. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण से मु0अ0सं0 421/ 2016, मु0अ0सं0 263/ 2016 से संबंधित कोई बरामदगी नही हुई है, जिस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 411 भा0द0सं0 सन्देह से परे साबित नही होता है।

40. प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, ने अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्तगण से न ते मोटरसाईकिल बरामद की और न ही उसका पर्स बरामद हुआ और न ही पर्स में रखे पैसे बरामद हुए। वह यह भी नही बता सकता कि अभियुक्तगण सोनू व अंकित द्वारा इस प्रकरण की घटना कारित की गयी। तहरीर उसके द्वारा थाने पर अज्ञात में दी गयी थी। पुलिस ने उसका इस केस संबंधित कोई नही लिया। पुलिस ने सोनू आदि का नाम कैसे लिख वह इसकी वजह नही बता सकता। उसे अभियुक्त सोनू के द्वारा जान से मारने की धमकी नही दी गयी। साक्षी संख्या–2 बरामदगी का चक्षुदर्शी साक्षी है। साक्षी ने अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्त सोनू से बरामद 3500/रूपये की रकम पर कटिंग है और ओवर राईट करके 4500/रूपये लिखा गया है। अभियुक्तगण से 4500/रूपये बरामद हुए थे वह दरोगा जी ने अपनी फर्द में लिख दिये थे। यह सिर्फ पांच नोटो की छायाप्रति है जो 3500/रूपये न होकर मात्र 2500/रूपये आज न्यायालय में है। बरामद सामान दरोगा जी ने मौके पर ही उसके सामने सील किया था। साक्षी संख्या–4 निरीक्षक हशामुद्दीन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में घ टनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल पर भी उसे कोई मुलजिमान के खिलाफ कोई साक्ष्य सा माल बरामद नही हुआ। उसके द्वारा न्यायालय में माल मुकदमा व आरोप पत्र दाखिल नही किये है। उसे घटना से गोली चलने की बाबत कोई खोखा कारतूस बरामद नही हुए न ही उसे घटनास्थल से कोई चिन्ह मिला, जिससे कहा जा सकता हो कि यहां पर गोली चली हो। साक्षी संख्या–5 उप निरीक्षक नरेश कुमार दिनांक 28.10.2016 की घटना का विवेचक है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने लोकल के यक्तियो से घटना के संबंध में जानकारी करने का व घटना का सत्यापन करने का प्रयास किया था। परन्तु घटनास्थल के आस पास कोई मौजूद नही था। वह घटनास्थल पर एक बात निरीक्षण के दौरान ही गया है। उसके बाद दोबारा नही गया न उसके बाद दोबारा घटना का सत्यापन करने का प्रयास किया। यह बात सही है कि जिलाधिकारी द्वारा अभियोग चलाने की अनुमति की प्रति आज उसके सामने पत्रावली पर नही है। वह निश्चित तारीख परमिशन होने की नही बता सकता। साक्षी संख्या–6 उप निरीक्षक लोकेन्द्र दिनांक 30.08.2016 के दुसरे विवेचक है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा से कोई शिनाख्त अभियुक्तगण की नही कराई गयी थी। उसने फर्द के गवाह के अलावा पब्लिक के किसी गवाह का बयान नही लिया था। क्योंकि घटना कई पहले हो चुकी थी। जिस दिन वह घटनास्थल पर गया उस दिन मौके पर कोई नही मिला था। घटनास्थल वाला रोड एक व्यस्त रोड है, जिस पर हर समय पब्लिक की आवा जाही रहती है। साक्षी संख्या–7 घटना दिनांक 30.08.2016 का तीसरा विवेचक है। उक्त साक्षी द्वारा घटना में बरामद सम्पत्ति के संबंध में कोई कथन नही किया गया है। साक्षी संख्या–8 मु0अ0सं0 421/ 2016 एवं मु0अ0सं0 263/ 2016 का विवेचक रहा है। उक्त साक्षी द्वारा घटना से संबंधित लूट का माल अपने सामने बरामद होने का कथन नही किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसको यह बताया गया था कि लूट से संबंधित रूपये नकद, पर्स व मोबाईल फेक दिये गये है। मोटरसाइकिल कबाडी को बेच दी

है। कबाडी का नाम नही जानते। रूपये आपस में बराबर बांट लिये गये थे। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि बरामदगी के संबंध में अपने स्तर से स्वयं कोई जांच नही की थी। अतः उक्त साक्षी द्वारा लूट से संबंधित माल की बरामदगी को साबित नही कराया गया। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि प्रस्तुत घटना से संबंधित लूट के माल की बरामदगी साबित नही है। कथित तौर पर अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 30.08.2016 एवं मु0अ0सं0 263/ 2016 से संबंधित लूट का माल अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद होना साबित नही होता है। यह न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल पाता है कि अभियुक्तगण से मु0अ0सं0 421/ 2016, मु0अ0सं0 263/ 2016 से संबंधित कोई बरामदगी नही हुई है, जिस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 411 भा0द0सं0 सन्देह से परे साबित नही होता है। उक्त बचाव तर्क का निस्तारण अभियोजन के प्रतिकूल एवं अभियुक्तगण के पक्ष में किया जाता है।

41. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि दिनांक 30.08.2016 एवं दिनांक 28.10.2016 से संबंधित चाकू एवं तमंचा अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त नही कराया गया है, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 25/ 4 एवं धारा 25 आयुध अधिनियम का अपराध साबित नही है।

42. साक्षी संख्या–2 द्वारा खुद को घटना दिनांक 28.02.2016 का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है। उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा अनुसार मु0अ0सं0 263/2016 व मु0अ0सं0 421/2016 की बरामदगी का वह हमराही है तथा उक्त दोनो मुकदमो की रिकवरी 361/2016, 502/2016 में एस.आई. लविंक त्यागी के साथ वह हमराही था। दिनांक 27.10.2016 को उसके साथ एस.आई. लविक त्यागी, कांस्टेबल राकेश कुमार, थाने से समय 22:50 जीडी रवानगी 45 पर इन्द्राज करके बडी नहर हलालपुर के पास मोटरसाईकिल की रोशनी में जाते समय दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिये। रूकने का इशारा किया, नही रूके, भागने लगे। हम पुलिस वालो ने दिनांक 28.10.2016 की सुबह पांच बजे दोनो को पकड कर नाम पता पूछकर जामातलाशी ली गई। पहले ने अपना नाम सोनू पुत्र काला बताया। इसकी जामातलाशी लेने पर दाहिने सुड्डे से एक छुरी बरामद हुई तथा जीन्स दाहिनी जेब से एक हजार रूपये जिनमें दो नोट पांच सौ के बरामद हुए। जिस पर एक नोट पर 79 लाल पेन व दूसरे पर नीले पैन से 100 लिखा था तथा पिछली जेब से 2500/रूपये, 500–500 के पांच नोट जिनपर दो नोटो पर 30.08.2016 तारीख लिखी थी तथा तीन नोटो पर 16.05.2016 तारीख लिखी थी, बरामद हुये। दुसरे ने अपना नाम अंकित पुत्र कंवरपाल बताया। जामातलाशी लेने पर सुड्डे से 315 बोर का तमंचा तथा जीन्स की दाहिनी जेब से 2000/रूपये दो नोट 1000–1000 के व तीन कारतूस 315 बोर के व एक जीन्स की जेब से 2500/रूपये पांच नोट पांच–पांच सौ के दो नोटो पर 30.8.2016 तीन नोटो पर 16.05.2016 लिखे बरामद हुए। दोनो मुलजिमान को धारा 25/4 व धारा 25 आयुध अधिनियम के जुर्म से अवगत कराते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश/निर्देशो का पालन करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। फर्द एस.आई. लविक त्यागी द्वारा लिखी गई। वह भी मौजूद था। उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है व शिनाख्त करता है। साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि ''22:50 बजे थाने से रवाना होकर चले थे। हम हलालपुर बडी नहर गांव दाबकी गुर्जर की तरफ गये थे। हमे आधा पोन घंटे का समय घटनास्थल पर पहुंचने में लगा था। मुलजिमान को हमने दस मीटर दूर से देखा था। देखते ही रूकने के लिए कहा था, फिर पकड लिया था। मैने सोनू को पकडा था, राकेश दरोगा जी ने अंति को पकडा था। हम करीब पन्द्रह मीटर तक इनके पीछे भागे थे, तब पकडा था। मैं मुलजिमान के पीछे पैदल भागा था और मुलजिमान भी पैदल भागे थे। हम मुलजिमान को पकडने के बाद 15–20 मिनट तक घटनास्थल पर रहे थे। घटनास्थल सहारनपुर से चिलकाना को जाने वाला मुख्य मार्ग है। हम थाने की लैपर्ड मोटरसाईकिल से गये थे और दरोगा जी अपनी मोटरसाईकिल लैपर्ड से थे। हमारी अपाची लैपर्ड थे। दरोगा जी हमे घटनास्थल पर ही मिले थे। दरेगा जी कैसे पहुंचे मुझे याद नही। स्वयं कहा बाईक से गये थे। मुझे बाईक का मॉडल नम्बर व नम्बर मैं नही बता सकता। सहारनपुर–चिलकाना जिस पर घ ाटनास्थल है वह हरियाणा हथनीकुण्ड वैराज, हिमाचल तक रास्ता जाता है। इसी मार्ग से रेत खनन आदि की ट्रालियां वगैरा जाती थी। मुझे जानकारी नही कि मुख्य मार्ग पर भारी वाहन का चलने का समय रात

08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक का होता है। यह कहना गलत है कि मुझे उपरोक्त बात की जानकारी हो और मैं जानबूझकर झूठ बोल रहा हूं तथा घटना के दौरान रात को भारी वाहन आ जा रहे थे। गवाह के लिए आने जाने वालो को रोका था लेकिन उन्होने नाम पता नही बताया था। दरोगा जीने नाम पता न बताने वालो को कोई नोटिस नही दिया था। मुझे जानकारी नही कि कितने लोगो को गवाही के लिए रोका था। दरोगा जी ने हमसे पहले घटनास्थल पर खडे हुए थे। हमारे बाद नही आये थे, सोनू व अंकित दरोगा जी के पास खडे हुए नही थे। मेरे जामातलाशी दरोगा जी ने ली थी। यह बात कि दरोगा जी ने मेरी तलाशी ली थी। दरोगा जी ने अपनी फर्द में नही लिखी मुझे नही पता। दरोगा लविक त्यागी की जामातलाशी किसने ली थी। दरोगा जी ने फर्द बामदगी जमीन पर बैठकर बनायी। मेरे द्वारा अभियुक्त सोनू की जामातलाशी ली गयी थी। मुझे ध्यान नही कि अंकित की जामातलाशी किसने ली थी, जिस समय अभियुक्तगण के हस्ताक्षर कराये थे दोनो मुलजिमान हमारी कस्टडी में थे। मैं वर्ष 2016 में एक साल थाना कोतवाली देहात में रहा था और दरोगा लविश कुमार उसी दौरान एक वर्ष तक मेरे साथ तैनत थे। मुलजिमान को थाने हम लेकर गये थे। मैं और राकेश अपनी मोटरसाईकिल से मुलजिमान को थाने लेकर गये थे। मुलजिमान को मेरे सामने संतरी पहरा को दिखाकर थाने में दिया गया था। संतरी पहरा ने उनकी तलाशी ली थी। अभियुक्तगण के पास से थाने में से कुछ भी नही मिला था। यह कहना गलत है कि मुलजिमान से न तो कोई बरामदगी मौके पर की गयी हो और पूरी कार्यवाही थाने पर बैठकर बनायी हो। यह बात सही है कि गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क–3 जो अभियुक्त सोनू की गिरफ्तारी से संबंधित है, पर लिखी 3500/रूपये की रकम पर कटिंग है। यह बात भी सही है कि प्रदर्श क–4 गिरफ्तारी मीमो जो अभियुक्त अंकित से संबंधित है, में भी रकम पर कटिंग है और ऑवर राईट करके 4500/रूपये लिखा गया है। अभियुक्तगण से जो पैसे बरामद हुए थे वह मेरे सामने बरामद हुए थे। सोनू से 3500/रूपये बरामद हुए थे तथा अंकित से 4500/रूपये बरामद हुए थे जो पैसे बरामद हुए थे वह दरोगा जी ने अपनी फर्द में लिख दिये थे। यह बात सही है कि वस्तु प्रदर्श 8, 9, 10, वस्तु प्रदर्श–12 तक कूल पांच–पांच के नोटो की छायाप्रति है जो सिर्फ पांच नोट की प्रति है जो 3500/–रूपये न होकर मात्र 2500/रूपये आज न्यायालय में है। यह भी कहना सही है कि वस्तु प्रदर्श–14, वस्तु प्रदर्श–15, वस्तु प्रदर्श–16, वस्तु प्रदर्श–18, वस्तु प्रदर्श–19 कुल पांच नोट आज न्यायालय में सील पुलिंदा से खोले गये है जो पांच सौ के पांच नोटो की फोटो कापी है और यह भी 4500/रूपये न होकर 2500/रूपये थी। बरामद सामान दरोगा जी ने मौके पर ही मेरे सामने सील किया था। दरोगा जी ने अभियुक्त सोनू से बरामद छुरी को एक पुलिंदा में सील किया था तथा दुसरे पुलिंदे में नोट सील किये थे तथा अभियुक्त अंकित से बरामद तमंचे को एक पुलिंदो में तथा दुसरे पुलिंदे में नोटो को सील किया था। कुल चार पुलिंदे सील हुए थे । आज न्यायालय के सामने दोनो अभियुक्तगण के दो–दो पुलिंदे की वजह से तीन–तीन पुलिंदे खोले गये थे। यह पुलिंदे दो–दो से तीन–तीन कैसे हुए मैं नही बता सकता। अभियुक्तगण से असल नोट बरामद हुए आज न्यायालय के सामने छायाप्रति है। असल ही नोट सील किये गये थे। इन पुलिंदो को खोलने की अनुमति या न्यायालय का कोई आदेश पत्रावली पर आज मेरे समने मौजूद नही है और नोटो की छायाप्रति भी सी.पी. कटारिया थाना प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर है, जो तारीख नोटो की छायाप्रति 28.12.2016 नोटो पर प्रमाणित करने की डाली हुई है इस दिनांक को मैं थाना कोतवाली देहात पर ही तैनात था व एस.आइ. शिवम कुमार भी थाने पर तैनात थे। यह कहना गलत है कि सील पुलिंदो के साथ गलत तरीके से छेड छाड की गयी हो। अंकित से बरामद नोटो में कोई भी एक हजार के नोट की प्रति आज मेरे सामने प्रत्रावली पर मौजूद नही है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 में अंकित से एक हजार रूपये के दो नोट बरामद होना बताया है। यह नोट आज न्यायालय में नही है। मैं इसकी कोई वजह नही बता सकता। माल मुकदमा दरोगा जी की सील मुहर आज पढने में नही आ रही है। नोटबंदी के बाद जो सभी नोट सील किये गये है इस पर भी कोई सील मुहर नही लगी हुई है। दरोगा जी ने नमुना मोहर मौके पर बनाया था परन्तु आज मेरे सामने कोई नमुना मोहर पत्रावली में नही है। यह कहना गलत है कि कोई नमुना मोहर मौके पर न बनाया हो और इसी कारण कोई नमुना मोहर पत्रावली पर न हो। यह कहना गलत है कि बरामद माल मौके से अभियुक्त से बरामद न हुआ और

दरोगा जी ने कुल बरामदगी मौके से झूठी व फर्जी दिखायी हो। मुझे याद नही जिनके द्वारा उनके साथ चोरी होना बताया गया उन्हें किसी को मौके पर बुलाया था या नही। दरोगा जी ने लेकिन मेरे सामने किसी ने मौके पर नही बुलाया। मुझे इस बात की भली भांति जानकारी है कि दोनो अभियुक्त बाल्मिकी समाज से है कि परन्तु थाने में पडे मुकदमे को खोलने के लिए दरोगा जी गरीब परिवार के लडको को झूठा फसाया हो। यह बात सही है कि सील पुलिंदा जिसमें छुरी सील की गयी है पर लिखी इसकी इबारत एक ही लाल कलम से दरोगा जी द्वारा लिखी गयी थी। दोनो सील पुलिंदा पर दरोगा लविक कुमार द्वारा उसी कलम से मु0अ0स0 लिखा गया है। जब पुलिंदो दरोगा जी द्वारा मौके पर सील किये गये थे तब यह मु0अ0स0 मौके पर लिखा गया था। यह कहना गलत है कि दरोगा जी ने पहले से मुलजिमान को थाने पर बैठा रखा हो और कई दिन थाने में रखकर गलत बरामदगी दिखाकर झूठा चालान किया गया हो।

43. उपरोक्त साक्षी के कथनानुसार अभियुक्तगण से तमंचे व छुरी की बरामदगी दिनांक 28.10.2016 को की गयी, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.10.2016 को दर्ज कराई गयी। पत्रावली पर मौजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि अभियुक्तगण से घटना से संबंधित एक तमंचा व छुरी बरामद हुआ, जिसका इन्द्राज पुलिस द्वारा फर्द में किया गया एवं फर्द की एक प्रति दोनो अभियुक्तगणो को प्रदान की गयी। इस संबंध में पत्रावली पर मौजूद जी.डी. दिनांकित 28.10.2016 के परिशीलन से स्पष्ट है कि जब अभियुक्तगण दिनांक 28.10.2016 को थाने पर लाये गये तो किसी भी अभियुक्तगण के पास से कपडो के अलावा अन्य कोई वस्तु व जिस्म पर कोई जेवरात बरामद नही हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा कथित तौर पर एक फर्द तैयार कर कथित घटना से संबंधित तहरीर थाने पर लिखाई गयी, जिसमें अभियुक्त के पास से छुरी, तमंचा व रूपये बरामद होना दिखाया गया व कथित तौर पर इसका इन्द्राज फर्द पर कराकर एक फर्द दोनो अभियुक्तगण को देना बताया गया परन्तु जब अभियुक्तगण हवालात पहुंचे तो उनकी जेब से ऐसी कोई कथित फर्द बरामद नही हुई, जिस कारण सम्पूर्ण अभियोजन कथानक सन्देहास्पद प्रतीत होता है। साक्षी संख्या–2 की प्रतिपरीक्षा से स्पष्ट है कि गिरफ्तारी मैमो प्रदर्श क–4 में रकम में कटिंग व ओवर राईटिंग की गयी है। जो नोट कथित तौर पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराये गये वह बरामद नोटो की छायाप्रतियां थी। वास्तविक नोट नही थी। उक्त साक्षी अनुसार सम्पूर्ण बरामदगी व सील मोहर दरोगा लविंग त्यागी द्वारा कराई गयी। परन्तु अभियोजन द्वारा उक्त दरोगा लविंग त्यागी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही कराया गया है, जिससे बरामदगी के संबंध में किये गये कथनो की पुष्टि हो सके। घटना से संबंधित अन्य साक्षी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नही थे। घटना से संबंधित विवेचको द्वारा घटना से संबंधित बरामद माल की बरामदगी साबित नही कराई गयी है। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष जो तमंचा व छुरी प्रस्तुत कराया गया, उसके संबंध में किसी विशेष्ज्ञ या विधि विज्ञान प्रयोगशाल की रिपोर्ट दाखिल नही की गयी है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि घटना से संबंधित छुरी व तमंचा चालू हालत में है या नही। अतः न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल पाता है कि दिनांक 30.08.2016 एवं दिनांक 28.10.2016 से संबंधित चाकू एवं तमंचा अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त नही कराया गया है, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 25/ 4 एवं धारा 25 आयुध अधिनियम का अपराध साबित नही है। उक्त बचाव तर्क का निस्तारण अभियोजन के प्रतिकूल एवं अभियुक्तगण के पक्ष में किया जाता है।

44. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियेाजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित कोई स्वतंत्र साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराया गया है, जिससे प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित घटना संदेह से परे अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित हो सके।

45. साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि घटना वाले दिन वह कोर्ट में आया था। वह कोर्ट में सुबह दस बजे से शाम 05:30 बजे तक रहा। घटना के समय मोटरसाईकिल पर वह अकेला जा रहा था। घटना वाले दिन उसने किसी भी अभियुक्त की पहचान नही की थी। पुलिस ने उसके सामने किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नही किया, जो मुलजिमान पुलिस

के द्वारा गिरफ्तार किये गये थे उसकी सूचना उसे नही दी गयी थी और ना ही पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त सोनू से न तो मोटरसाईकिल बरामद की और न ही उसका पर्स बरामद हुआ और न ही पर्स में रखे पैसे बरामद हुए। वह यह भी नही बता सकता कि अभियुक्तगण सोनू और अंकित द्वारा इस प्रकरण की घटना कारित की गयी। तहरीर उसके द्वारा अज्ञात में थाने पर दी गयी थी। पुलिस ने उसका इस केस संबंधित कोई बयान नही लिया। पुलिस ने सोनू आदि का नाम कैसे लिखा वह इसकी वजह नही बता सकता। उसे सोनू के द्वारा जान से मारने की धमकी नही दी गयी।

46. साक्षी संख्या–2 एच.सी. अकबर अली ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वे 22:50 बजे थाने से रवाना होकर चले थे। हम हलालपुर बडी नहर गांव दाबकी गुर्जर की तरफ गये थे। हमे आधा पोन घंटे का समय घटनास्थल पर पहुंचने में लगा था। मुलजिमान को हमने दस मीटर दूर से देखा था। देखते ही रूकने के लिए कहा था, फिर पकड लिया था। उसने सोनू को पकडा था, राकेश दरोगा जी ने अंकित को पकडा था। मुलजिमान को पकडने के बाद 15–20 मिनट तक घटनास्थल पर रहे थे। घटनास्थल सहारनपुर से चिलकाना को जाने वाला मुख्य मार्ग है। वे थाने की लैपर्ड मोटरसाईकिल से गये थे और दरोगा जी अपनी मोटरसाईकिल लैपर्ड से थे। दरोगा जी हमे घटनास्थल पर ही मिले थे। दरेगा जी कैसे पहुंचे मुझे याद नही। स्वयं कहा बाईक से गये थे। वह बाईक का मॉडल नम्बर व नम्बर वह नही बता सकता। गवाह के लिए आने जाने वालो को रोका था लेकिन उन्होने नाम पता नही बताया था। दरोगा जीने नाम पता न बताने वालो को कोई नोटिस नही दिया था। मुझे जानकारी नही कि कितने लोगो को गवाही के लिए रोका था। दरोगा जी ने हमसे पहले घटनास्थल पर खडे हुए थे। हमारे बाद नही आये थे, सोनू व अंकित दरोगा जी के पास खडे हुए नही थे। दरोगा जी ने फर्द बामदगी जमीन पर बैठकर बनायी। उसके द्वारा अभियुक्त सोनू की जामातलाशी ली गयी थी। मुझे ध्यान नही कि अंकित की जामातलाशी किसने ली थी, जिस समय अभियुक्तगण के हस्ताक्षर कराये थे दोनो मुलजिमान हमारी कस्टडी में थे। वह वर्ष 2016 में एक साल थाना कोतवाली देहात में रहा था और दरोगा लविश कुमार उसी दौरान एक वर्ष तक मेरे साथ तैनत थे। मुलजिमान को थाने हम लेकर गये थे। वह और राकेश अपनी मोटरसाईकिल से मुलजिमान को थाने लेकर गये थे। अभियुक्तगण के पास से थाने में से कुछ भी नही मिला था। यह कहना गलत हे कि मुलजिमान से न तो कोई बरामदगी मौके पर की गयी हो और पूरी कार्यवाही थाने पर बैठकर बनायी हो। यह बात सही है कि गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क–3 जो अभियुक्त सोनू की गिरफ्तारी से संबंधित है, पर लिखी 3500/रूपये की रकम पर कटिंग है। यह बात भी सही है कि प्रदर्श क–4 गिरफ्तारी मीमो जो अभियुक्त अंकित से संबंधित है, में भी रकम पर कटिंग है और ऑवर राईट करके 4500/रूपये लिखा गया है। अभियुक्तगण से जो पैसे बरामद हुए थे वह मेरे सामने बरामद हुए थे। सोनू से 3500/रूपये बरामद हुए थे तथा अंकित से 4500/रूपये बरामद हुए थे जो पैसे बरामद हुए थे वह दरोगा जी ने अपनी फर्द में लिख दिये थे। यह बात सही है कि वस्तु प्रदर्श 8, 9, 10, वस्तु प्रदर्श–12 तक कूल पांच–पांच के नोटो की छायाप्रति है जो सिर्फ पांच नोट की प्रति है जो 3500/–रूपये न होकर मात्र 2500/रूपये आज न्यायालय में है। यह भी कहना सही है कि वस्तु प्रदर्श–14, वस्तु प्रदर्श–15, वस्तु प्रदर्श–16, वस्तु प्रदर्श–18, वस्तु प्रदर्श–19 कुल पांच नोट आज न्यायालय में सील पुलिंदा से खोले गये है जो पांच सौ के पांच नोटो की फोटो कापी है और यह भी 4500/रूपये न होकर 2500/रूपये थी। बरामद सामान दरोगा जी ने मौके पर ही मेरे सामने सील किया था। दरोगा जी ने अभियुक्त सोनू से बरामद छुरी को एक पुलिंदा में सील किया था तथा दुसरे पुलिंदे में नोट सील किये थे तथा अभियुक्त अंकित से बरामद तमंचे को एक पुलिंदे में तथा दुसरे पुलिंदे में नोटो को सील किया था। कुल चार पुलिंदे सील हुए थे । आज न्यायालय के सामने दोनो अभियुक्तगण के दो–दो पुलिंदे की वजह से तीन–तीन पुलिंदे खोले गये थे। यह पुलिंदे दो–दो से तीन–तीन कैसे हुए मैं नही बता सकता। अभियुक्तगण से असल नोट बरामद हुए आज न्यायालय के सामने छायाप्रति है। असल ही नोट सील किये गये थे। इन पुलिंदो को खोलने की अनुमति या न्यायालय का कोई आदेश पत्रावली पर आज मेरे सामने मौजूद नही है और नोटो की छायाप्रति भी सी.पी. कटारिया थाना प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर है, जो तारीख नोटो की छायाप्रति 28.12.2016 नोटो पर प्रमाणित करने की डाली हुई है।

अंकित से बरामद नोटो में कोई भी एक हजार के नोट की प्रति आज उसके सामने प्रत्रावली पर मौजूद नही है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 में अंकित से एक हजार रूपये के दो नोट बरामद होना बताया है। यह नोट आज न्यायालय में नही है। वह इसकी कोई वजह नही बता सकता। माल मुकदमा दरोगा जी की सील मुहर आज पढने में नही आ रही है। नोटबंदी के बाद जो सभी नोट सील किये गये है इस पर भी कोई सील मुहर नही लगी हुई है। दरोगा जी ने नमुना मोहर मौके पर बनाया था परन्तु आज मेरे सामने कोई नमुना मोहर पत्रावली में नही है। यह कहना गलत है कि कोई नमुना मोहर मौके पर न बनाया हो और इसी कारण कोई नमुना मोहर पत्रावली पर न हो। यह कहना गलत है कि बरामद माल मौके से अभियुक्त से बरामद न हुआ और दरोगा जी ने कुल बरामदगी मौके से झूठी व फर्जी दिखायी हो।

47. साक्षी संख्या–4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि प्रस्तत वाद की विवेचना उसे मिली थी, जिसमें अभियुक्तगण सोनू व अंकित की गिरफ्तारी उसके द्वारा की गयी और न ही उसके द्वारा कोई बरामदगी की गयी। उसके द्वारा उपरोक्त वाद में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल पर भी उसे कोई मुलजिमान के खिलाफ कोई साक्ष्य या माल बरामद नही हुआ। उपरोक्त वाद में उसके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नही किया गया। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा न्यायालय में माल मुकदमा व आरोप पत्र दाखिल किये गये हो। यह बात सही है कि उसके द्वारा उपरोक्त वाद की विवेचना उसके बाद किसी अन्य ने की हो। यह बात सही है कि प्रदर्श क–6 में जो नक्शा नजरी दिखाया गया है वह मुख्य मार्ग का स्थान है। वह इस मुकदमे से पहले से ही थाना कोतवाली देहात पर तैनात था। वह जनपद सहारनपुर में लगभग पांच साल तक तैनात था। यह बात सही है कि मल्हीपुर रोड सहारनपुर का मुख्य मार्ग है जो देवबंद को जाता है। लोग आते–जाते रहते है। मुझे घटना से गोली चलने के बाबत कोई खोखा कारतूस बरमाद हुए न ही मुझे घटनास्थल से कोई चिन्ह मिला जिससे कहा जा सकता हो कि यहां पर गोली चली हो। उसने आस पास के खेतो के लोगो से घटना के संबंध में पूछताछ करने की कोशिश की थी किन्तु उसे किसी ने नही बताया था। यह कहना गलत है कि उसने वादी से मिलकर गलत नक्शा नजरी बनाया हो।

48. साक्षी संख्या–5 उप निरीक्षक नरेश कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह कोतवाली देहात थाने पर वर्ष 2016 में तैनात रहा। कुल समय कितने रहा उसे अब याद नही। सहारनपुर में 2015 से 2017 तक रहा है। वह जनपद सहारनपुर के देवबंद, गंगोह व कोतवाली देहात में तैनात रहा। थाना कोतवाली देहात शहर सहारनपुर से मिला हुआ शहर के अन्दर का ही थाना है। घटनास्थल गांव हलालपुर के पास का है। वह नही कह सकता कथित घटनास्थल हलालपुर से 100 मीटर के दायरा में मिला हुआ स्थान है। यह कहना गलत है कि राजवाहे से करीब आधा किलोमीटर आगे तक गांव हलालपुर की आबादी बनी हुई थी। राजवाहा पटरी गांव हलालपुर भागपुर बुडढाखेडा व दाबकी गांव को आपस मे जोडती है। इस रास्ते पर पब्लिक की आवाजाही रहती है। लेकिन आवाजाही हर समय नही रहती। उसने लोकल के व्यक्तियो से घटना के संबंध में जानकरी करने का व घटना का सत्यापन करने का प्रयास किया था। परन्तु घटनास्थल के आस पास कोई मौजूद नही था। वह घटनास्थल पर एक बार निरीक्षण के दौरान ही गया है। उसके बाद दोबारा नही गया न उसके बाद दोबारा घटना का सत्यापन करने का प्रयास किया। घटनास्थल का निरीक्षण उसे वादी मुकदमा एस.आई. लविक त्यागी ने कराया था। घटनास्थल के बारे में कि यहां कोई घटना जैसी एस.आई. लविक त्यागी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है या नही, जानने के लिये उसने किसी पब्लिक के व्यक्ति का कोई बयान नही लिया। घटनास्थल पर उसने कोई पैरो के निशान नही देखे थे न ही नक्शे में दिखाये है। उसने घटनास्थल बनाये वादी द्वारा अभियुक्तगण को पकडने का स्थान वादी के बताने पर लिखा है। स्वयं घटनास्थल पर ऐसा कोई साक्ष्य नही देखा था जिससे कथित घटना का होना कहा जा सके। वह घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिये दिनांक 31.10.2016 को गया था। प्रदर्श क–7 नक्शा नजरी में उसके हस्ताक्षर के नीचे लिखी गई तारीख में कटिंग है व ओवरराईट करके दुबारा तारीख लिखी गई है। महीने में दस को ओवर राईट किया हुआ है। परन्तु यह कहना गलत है कि उसने 31.11.2016 को काटकर 31.10.2016 लिखा हो तथा इसी तरह

की कटिंग सीडी के पर्चा नं02 में लिखी तारीख पर है।

49. साक्षी संख्या–6 उप निरीक्षक लोकेन्द्र ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा से कोई शिनाख्त अभियुक्तगण की नही कराई गयी थी। उसने फर्द के गवाह के अलावा पब्लिक के किसी गवह का बयान नहीं लिया था। क्येांकि घटना कई दिन पहले हो चुकी थी। जब वह घ टनास्थल पर गया उस दिन कोई मौके पर नही मिला था। घटनास्थल वाला रोड एक व्यस्त रोड है, जिस पर हर समय पब्लिक की आवा जाही रहती है। नक्शा नजरी कांस्टेबल राकेश कुमार की निशानदेही पर तैयार किया गया था, जिस दिन बयान लिये थे उसी तदन तैयार किया था। यह बात सही है कि नक्शा नजरी पर कोई तिथि अंकित नही है और न ही उसकी केस डायरी में सी0ओ0 के हस्ताक्षर के नीचे कोई तारीख है। एस.आई. लविक त्यागी नक्शा बनवाने के लिए उसके साथ नही गये थे।

50. साक्षी संख्या–7 उप निरीक्षक लोकेन्द्र ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण मे दौरान विवेचना उसे जांच दी गयी और उपरोक्त वाद में ही उसके द्वारा 02 पर्चे काटे गये। उसके द्वारा अभियुक्तगण की कोई गिरफ्तारी की गयी और ना ही उसके द्वारा बरामदगी आदि की गयी। क्योकि वह थाने पर बीस दिन रहा था।

51. साक्षी संख्या–8 उप निरीक्षक लोकेन्द्र ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि इस मुकदमे में विवेचक एस0आई0 राजीव शर्मा थे। उसके द्वारा मात्र मुलजिमान से पूछ–ताछ की गई थी। पूछ–ताछ का कोई इन्द्राज उसके केस डायरी में अंकित नही किया गया। जीडी में अंकित कराया गया था। ऐसी कोई जीडी उसके द्वारा हस्ताक्षर की हुई आज पत्रावली पर नही है। उससे पहले गिरफ्तारी करने वाले एस. आई. लविक त्यागी ने अभियुक्तगण से पूछ–ताछ कर ली थी। बरामद माल भी उसके सामने आ चुका था, माल सीलबंद था। माल लविक त्यागी की मोहर से सील था। उसे याद नही कि माल कुल कितने बंडल में पैक था। उसकी पूछ–ताछ करने के समय एस.आई. लविक त्यागी मौजूद थे, फिर कहा उनकी मौजूदगी अनिवार्य नही थी। बरामदगी के संबंध में अपने स्तर से स्वयं कोई जांच नही की थी।

52. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा के अतिरिक्त अन्य कोई स्वंतत्र साक्षी परीक्षित नही कराया गया है। अभियोजन की ओर से जो साक्षी संख्या–2 लगायत साक्षी संख्या–8 सभी साक्षी पुलिस के साक्षी है। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा से कोई शिनाख्त अभियुक्तगण की नही कराई गयी थी। उसने फर्द के गवाह के अलावा पब्लिक के किसी गवाह का बयान नहीं लिया था।

53. साक्षी संख्या–1 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, परन्तु उक्त साक्षी द्वारा तहीर अज्ञात में दी गयी थी। उक्त साक्षी का पुलिस द्वारा कोई बयान नही लिया गया। इस साक्षी के सामने अभियुक्तगण से बरामदगी नही हुई। साक्षी संख्या–2 घटना दिनांक 28.10.2016 का कथित तौर पर चक्षुदर्शी साक्षी है। उक्त साक्षी का बयान विश्वसनीय प्रतीत नही हाता है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि वह पुलिस पार्टी के साथ दिनांक 27.10.2016 को रात्रि 22:50 बजे थाने से निकला जहां घटनास्थल के पास उसने मुलजिमान को देखा। मुलजिमान ओर पुलिस के बीच दस मीटर की दूरी थी। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को रूकने के लिए कहा गया परन्तु वो रूके नही। पुलिस द्वारा मुलजिमान का पैदल पीछा करते हुए करीब पन्द्रह मीटर बाद उनको पकड लिया गया था, परन्तु उक्त साक्षी का बयान उसकी मुख्य परीक्षा एवं घटना क्रम से मेल नहीं खाते है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि हम पुलिस वालो ने दिनांक 28.10.2016 की सुबह पांच बजे दोनो को पकड कर नाम पता पूछकर जामातलाशी ली थी। अभियोजन द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि यदि पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 27.10.2016 की रात्रि 22:50 बजे देख लिया गया और उनके बीच दूरी मात्र 15 मीटर की थी तो अभियुक्तगण की गिरफ्तारी दिनांक 28.10.2016 को सुबह 05–06 बजे कैसे संभव है। अतः उक्त साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नही होता है। साक्षी संख्या–3 पुलिस का गवाह है जिसके द्वारा घटना के समर्थन में कोई विश्वसनीय कथन नही किया गया है। साक्षी संख्या–4 घटना दिनांक 30.08.2016 का पहला विवेचक है। उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य प्राप्त नही किया गया। उक्त साक्षी द्वारा घटनास्थल पर कोई खोखा कारतूस बरामद नही किया गया और

किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान नही लिया। साक्षी संख्या–5 घटना दिनांक 28.10.2016 का विवेचक है। उक्त साक्षी द्वारा घटनास्थल से संबंधित किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान नही लिया गया, साथ ही घटना दिनांक 28.10.2016 से संबंधित जिलाधिकारी से धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दुसरा अभियोजन चलाने की अनुमति को भी साबित नही किया है। साक्षी संख्या–6 दिनांक 30.08.2016 की घटना का दुसरा विवेचक है। उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्तगण की शिनाख्त वादी मुकदमा द्वारा नहीं करायी गयी। पब्लिक के किसी गवाह का बयान नही लिया गया, परन्तु यह साबित किया गया कि घटनास्थल व्यस्त रोड है जिसपर पब्लिक आती जाती रतती है। साक्षी संख्या–7 घटना दिनाकित 30.08.2016 का तीसरा विवेचक है। उक्त साक्षी द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है। साक्षी संख्या–8 मु0अ0स0 421/2016 एवं 263/2016 का विवेचक है। उक्त साक्षी द्वारा वादी का कोई बयान अंकित नही किया गया। उक्त साक्षी द्वारा उपरोक्त दोनो मुकदमो के वादी द्वारा अभियुक्तगण की पहचान नही करायी गयी। उक्त साक्षी द्वारा घटना से संबंधित माल बामद नही कराया गया। उक्त साक्षी द्वारा बरामदगी के संबंध में अपने स्तर से स्वतंत्र कोई जांच नही की गयी। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कराये गये साक्षीगण विश्वसनीय नही है। अभियोजन द्वारा मु0अ0स0 421/ 2016 एवं मु0अ0स0 502/2016 व 503/ 2016 एवं 263/2016 के संबंध में भी कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नही कराया गया है। पुलिस के जो साक्षीगण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कराये गये है उनका साक्ष्य विश्वसनीय नही है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण संदेह से परे साबित नही होता है। उपरोक्त के दृष्टिगत न्यायलाय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल पाता है कि अभियेाजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित कोई स्वतंत्र साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराया गया है, जिससे प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित घटना संदेह से परे अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित हो सके। उक्त बचाव तर्क का निस्तारण अभियोजन के प्रतिकूल एवं अभियुक्तगण के पक्ष में किया जाता है।

54. उपरोक्त किये गये विवेचन के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही कराया गया है। पुलिस द्वारा विवेचना में गम्भीर लापरवाही एवं त्रुटियां कारित की गयी है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित वादी मुकदमा से अभियुक्तगण की पहचान नही कराई गयी। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से कथित तौर पर घ टना से संबंधित माल मुकदमा बरामद नही कराया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई वैज्ञानिक साक्ष्य एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्रस्तुत नही कराई गयी। घटना से संबंधित सम्पूर्ण साक्षी पुलिस के साक्षी है, जिनके बयानो में गम्भीर विरोधाभास एवं त्रुटियां दर्शित होती है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी पत्रावली पर परीक्षित नही कराया गया, जिससे घटना अभियुक्तगण के विरूद्ध सन्देह से परे साबित हो सके। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **सोनू व अंकित** के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 307,392,411 भा0दं0सं0 व धारा 25 व 25/4 आयुध अधिनियम युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण सोनू व अंकित आरोपित अपराध से दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

55. अभियुक्त **सोनू व अंकित** को **सत्र परीक्षण संख्या 592/2017 मु0अ0सं0 421/2016** अन्तर्गत **धारा– 307,392,411 भा0दं0सं0** एवं अभियुक्त **सोनू** को **सत्र परीक्षण संख्या 593/2017 मु0अ0सं0 502/2016** अन्तर्गत **धारा– 25/4 आयुध अधिनियम** व अभियुक्त **अंकित** को **सत्र परीक्षण संख्या 594/2017 मु0अ0सं0 503/2016** अन्तर्गत **धारा– 25 आयुध अधिनियम** थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर में लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

56. अभियुक्तगण दौरान विचारण जमानत पर है। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को उन्मोचित किया जाता है।

57. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है धारा 437ए दं0प्र0सं0/481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुपालन में पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एंव इसी धनराशि की दो–दो जमानते दाखिल करे, जो निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेगे।

58. निर्णय की एक–एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 593/2017 मु0अ0सं0 502/2016 अन्तर्गत धारा– 4/25 आयुध अधिनियम एवं सत्र परीक्षण संख्या 594/2017 मु0अ0सं0 503/2016 अन्तर्गत धारा– 25 आयुध अधिनियम की पत्रावली पर रखी जाये।

59. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील योजित की जाती है तो अभियुक्तगण माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होगें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

दिनांकः 31.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 3845)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम,
सहारनपुर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 31.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 3845)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम,
सहारनपुर।